www.navpradesh.com

दैनिक नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 3 | राजधानी 4 | अभिव्यक्ति 5 | आंचलिक 6 | आंचलिक

RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, गुरुवार 10 फरवरी 2022, शुक्ल पक्ष दशमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-11 अंक-03 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

//-- सुविचार --//

सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं।

आज बेबाक

कर्नाटक के एक कस्बे से उठा हिजाब विवाद जंगल की आग की तरह कई राज्यों में फैल गया है। इसे संयोग नहीं माना जा सकता। यह प्रयोग है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी भी कूद पड़े है। इसी से स्पष्ट है कि एक बार फिर तिल का ताड़ बनाकर दो समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने की साजिश की जा रही है। यह ठीक है कि किसी को क्या पहनना है यह तय करना उसका अधिकार है लेकिन शिक्षण संस्थानों में तो मैं चाहे कुछ भी पहनूं मेरी मर्जी.... नहीं चलेगी। ड्रेस कोड सभी के लिए अनिवार्य है।

बेरोजगारी और कर्ज के चलते 3 साल में 26 हजार लोगों ने दे दी जान: केंद्र सरकार

नई दिल्ली (ए.)। देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर अक्सर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहती है। बेरोजगारी की वजह से कई लोग अपनी जान दे देते हैं। इसी बीच सरकार ने बुधवार यानी 9 फरवरी को संसद में बेरोजगारी की वजह से अपनी जान देने वालों का एक आंकड़ा पेश किया है। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि 3 साल के भीतर बेरोजगारी की वजह से 10 हजार

लोगों ने अपनी जान दे दी। इसके अलावा सरकार ने बताया कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालियेपन या कर्ज के कारण आत्महत्या की, जबकि 9140 लोगों ने बेरोजगारी के कारण अपनी जान दे दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में 5,213 लोगों ने दिवालियेपन या कर्ज के कारण 2019 में 5,908 और 2018 में 4,970 लोगों ने आत्महत्या की। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 2020 में बेरोजगारी के कारण कुल 3,548 लोगों ने, 2019 में 2,851 और 2018 में 2,741 लोगों ने आत्महत्या की।

गंगा की सफाई का मुद्दा उठा राज्यसभा में

गंगा नदी की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को राज्यसभा में गंगा की स्वच्छता से संबंधित राष्ट्रीय गंगा परियोजना पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस के कुमार केतकर ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि इस परियोजना के तहत गंगा को वर्ष 2019 तक पूरी तरह स्वच्छ कर दिया जायेगा लेकिन गंगा की हालत अभी भी बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बनायी गयी संस्था की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसके बावजूद हालत सही नहीं है। सदस्य ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गंगा शव वाहिनी की तरह दिखाई दी। उन्होंने कहा कि गंगा को साफकरने के लिए पैसा खर्च करने के बजाय पूजा पाठ पर खर्च ज्यादा किया जा रहा है। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सूर्योदय

उदय : 6:28 प्रात:

अस्त : 5:32 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,926,007,310

भारत : 1,402,209,690

बाजार

सेंसेक्स : 58465.97

निफ्टी : 17463.80

गोल्ड : 49,540 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 62,560 प्रति किग्रा

अण्डा दर : 4.66 प्रति नग

प्रदेश का मौसम

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
रायपुर	31.2	14.6
बिलासपुर	28.8	12.0
जगदलपुर	30.3	11.4
अंबिकापुर	24.3	09.2

आज का दिवस

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस: भारत में 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को पेट के कीड़ो से मुक्त कराया जाना है। देश में हर बच्चे को कृमि मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। यह छोटी अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों तक पहुंचने वाले बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।

हिजाब विवाद: हाईकोर्ट में नहीं निकला हल, अब बड़ी बेंच सुनवाई करेगी

बेंगलुरु में लगी धारा 144

बेंगलुरु (ए.)। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर जारी विवाद का हल आज भी नहीं निकल सका है। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने का फैसला लिया है। केस की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा कि इस मामले को भले ही ऊपर भेजा जाए, लेकिन मामले का जल्दी ही हल निकलना चाहिए। इस बीच कर्नाटक में उडुपी,

शिमोगा, बेंगलुरु समेत सभी शहरों में शांति बनी रही।

राज्य सरकार बोली- हम यूनिफॉर्म पर फैसला नहीं ले सकते, संस्थानों को अधिकार: बेंगलुरु प्रशासन ने छात्रों और छात्राओं से कहा है कि वे स्कूल और कॉलेज के आसपास आंदोलन नहीं ■ शेष पृष्ठ 6 पर

छात्राओं के वकील ने कहा, फैसला न होने तक मिले राहत

छात्राओं का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मसले पर निर्णय नहीं ले लेता है, तब तक के लिए उन्हें हिजाब पहनने के लिए अंतरिम राहत दी जाए। इसका विरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में किसी भी स्कूल, कॉलेज अथवा अन्य शिक्षण संस्थान के 200 मीटर के दायरे में कोई प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने प्रदर्शनों ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। हालांकि हाईकोर्ट ने इस केस को बड़ी बेंच में सुने जाने की सिफारिश की है। जस्टिस दीक्षित की बेंच ने यह अनुशंसा की है। बड़ी बेंच अब इस मुद्दे पर विचार करेगी कि क्या स्कूल-कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। इसको लेकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट की बड़ी खंडपीठ विचार करेगी। स्कूल-कॉलेज परिसर में हिजाब पर पाबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं।

नेताओं की टिप्पणियों से और बढ़ा विवाद

गौरतलब है कि हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक से बाहर निकलकर देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और बीड़ में एआईएमआईएम के नेताओं ने हिजाब के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत कई अन्य नेताओं ने इस मामले को संवैधानिक आजादी से जोड़ा है। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि इस पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस है।

मौसम अलर्ट : छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव, दो दिन बारिश की संभावना

आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी

रायपुर। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी शाम से 10 फरवरी तक सरगुजा व बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है।

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ऊपर 8 फरवरी को एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना है, जिसके पूर्व ■ शेष पृष्ठ 6 पर

उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश

एचपी चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 9 फरवरी की देर शाम या रात्रि से 10 फरवरी तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 9 फरवरी और 10 फरवरी को सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में स्थित जिलों कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगाव, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार व महासमुंद में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व इस अवधि में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

पहले चरण के मतदान से पहले सख्त सुरक्षा व्यवस्था, बॉर्डर सील

नई दिल्ली/ए.। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल यानी 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आज आजम खान के गढ़ रामपुर का सियासी पारा सातवें आसमान पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों ही यहां रैली करने वाले हैं। सीएम योगी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पटवाई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं, अखिलेश यादव विजय-रथ पर सवार होकर कई क्षेत्रों में मतदाताओं से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आएंगे।

नक्सलियों की साजिश नाकाम

■ फोर्स को नुकसान पहुंचाने सड़क पर प्लांट किया 5 किलो का आईईडी बरामद

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में फोर्स के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने 5 किलो का आईईडी टिफिन बम बरामद किया है। एरिया डोमिनेशन एवं डि-माइनिंग पर निकलने वाले जवानों को नुकसान पहुंचाने माओवादियों ने आईईडी प्लांट किया था। बम निरोधक दस्ता ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस ने पुंगारपाल थाने में नक्सलियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। एक दिन पहले ही बीजापुर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पिता की मौत पर विवाहिता बेटी भी नौकरी की हकदार, हाई कोर्ट का फैसला

अगरतला। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र होगी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है।

गरमा-गरम

एक करोड़ से ज्यादा किशोरों को लगी दोनों डोज

24 घंटे में कोरोना के 71 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए

नई दिल्ली (ए.)। कोरोना महामारी के खतरे के बीच एक राहत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि एक करोड़ से ज्यादा 15 से 18 आयुवर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। आज सुबह स्वास्थ्य विभाग ने मामले में जानकारी दी थी कि देश में रिकवरी रेट 96.70 प्रतिशत हो गया है।

बुधवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि 15-18 आयु वर्ग के एक करोड़ से

अधिक युवाओं को अब तक कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया।

गौरतलब है कि बीती 3 जनवरी को देश में 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों को वैक्सीन की खुराक लगनी शुरू हुई थी। मात्र 36 दिनों में इस आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। मंडाविया ने जानकारी दी कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का अभियान जारी है और इसी रफ्तार से जारी रहेगा।

दुर्ग निगम पर भारी पड़ रही है विधायक की 'मंशा'

साफ-सुंदर और सुव्यवस्थित शहर की कल्पना हुई बेमायने

दुर्ग/नवप्रदेश। लम्बे समय से विकास की बाट जोह रहे दुर्ग शहर के लिए आश्वासनों का पिटारा खोलते रहे विधायक अरूण वोरा का रवैय्या हर बार ठेंगा दिखाने वाला रहा हैं। सक्रियता दिखाने के नाम पर वोट बैंक मजबूत करने में जुटे रहने वाले विधायक वोरा का दुर्ग नगर निगम में अत्यधिक हस्तक्षेप शहर पर ही भारी पड़ रहा है। महापौर धीरज बाकलीवाल को काम करने की आजादी नहीं है इसलिए वे विधायक के आगे-पीछे घूमकर ही खुद को तसल्ली दे देते हैं, किन्तु विधायक द्वारा स्वयं को सुपर पॉवर साबित करने और महापौर के सुपर फ्लॉप शो के चलते शहर का बंठाधार हो गया है।

दुर्ग में नया नेतृत्व उभरने नहीं देने की निम्न स्तरीय मानसिकता के चलते न केवल कांग्रेस पार्टी अपितु पूरा शहर ही गर्त की ओर जा रहा है, लेकिन इसकी परवाह न विधायक को है, न महापौर को। दबी जुबान में महापौर अपना दुखड़ा जरूर रोते हैं, किन्तु खुलकर बोलने का साहस उनमें नहीं है। जिस तरह की नपुंसक राजनीति दुर्ग में होती रही है, उसका परिणाम भी दुर्ग भोग रहा है। देखा जाए तो महापौर का पद विधायक से ज्यादा पॉवरफुल है। भले ही दुर्ग नगर निगम और विधानसभा का क्षेत्र एक ही हो, किन्तु महापौर शहर के पालनहार की तरह होता है, जबकि विधायक जनसेवक के रूप में होता है। महापौर चाहे तो शहर के लिए कोई भी विधिसम्मत निर्णय ले सकता है, किन्तु विधायक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। इस लिहाज से विधायक वोरा से ज्यादा शक्तियां महापौर धीरज बाकलीवाल के पास है, किन्तु विडंबना है कि बाकलीवाल, विधायक वोरा के पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। यहां तक कि नगर निगम की प्रेस विज्ञप्ति की पहली ही पंक्ति में लिखा होता है - विधायक की मंशानुसार....। इसका सीधा-सीधा अर्थ यही है कि दुर्ग नगर निगम को महापौर धीरज बाकलीवाल नहीं अपितु विधायक अरूण वोरा चला रहे हैं। इसीलिए हर बार विधायक की मंशा का उल्लेख किया जाता है। इसका एक आशय यह भी है कि शहर का जो कबाड़ा पिछले दो वर्षों में हुआ है, उसके लिए प्रत्यक्ष तौर पर न सही, अप्रत्यक्ष तौर पर विधायक ही जिम्मेदार हैं। थोथी घोषणाएं करने के महारथी विधायक कभी पलटकर नहीं देखते कि उन्होंने जो घोषणाएं की है, उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है अथवा नहीं।

गौरतलब है कि महापौर का पद स्वतंत्र होता है, किन्तु वर्तमान में इस पद पर आसीन धीरज बाकलीवाल को जरा सी भी स्वतंत्रता नसीब नहीं है। महापौर के पास दक्षता होनी चाहिए कि वे स्वयं शासन स्तर पर पहल करे और विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत कराए। पूर्ववर्ती महापौर ऐसा करते भी रहे हैं, किन्तु विधायक के पीछे रहने की वजह से वे खुद होकर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हाल ही में जब ठगड़ा बांध के अटके हुए काम के लिए बजट की दिक्त आई तब भी विधायक अरूण वोरा, महापौर को अपने साथ लेकर मंत्रालय गए।

शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय पर लगा भेदभाव का आरोप

कक्षा में टेबल कुर्सी टूटा फूटा लगवाने का मामला

रामानुजगंज/नवप्रदेश। शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आया। जहां आज रामानुजगंज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए टेबल बैंच टूटा फूटा कक्षा लगवाए जाने की बात कहते हुए आज कक्षा से टेबल कुर्सी बाहर किया।

बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र उपेन्द्र यादव ने बताया कि हमारी कक्षा में 35 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है दूसरे संकायो में टेबल कुर्सी अच्छा लगा है वही हमारी कक्षा में टेबल कुर्सी टूटा फूटा लगवा दिया गया है इसके लिए हम लोगों ने तीन तीन बार महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा टेबल कुर्सी बदलवाय जाने की मांग की परंतु टेबल बैंच नहीं बदला गया जिससे हम सभी को यह पढ़ने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आज हम लोगों के द्वारा कक्षा में सभी टूटे-फूटे टेबल बेंच को कक्षा से बाहर किया गया। बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्रचार्य से टेबल बेंच की व्यवस्था पढ़ने के लिए कराए जाने की मांग की। वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं ने कहा की विज्ञान एवं कला के छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी में पुस्तक है वही हम लोगों के संकाय के लिए की पुस्तकें नहीं है।

विधायक व महापौर ने किया पटरीपार में सीमेंटीकरण सड़क कार्य का भूमिपूजन

भूमिपूजन के दौरान पटरीपार के नागरिको ने विधायक व महापौर का किया आभार व्यक्त

दुर्ग/नवप्रदेश। नगर निगम के सीमा अंतर्गत वार्ड क्र. 19 6 लाख 78 हजार रूपये के विकास कार्य की सौगात वार्ड के नागरिको दी। शहर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्ड पार्षद काशीराम रात्रे के साथ विकास कार्यो का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर एमआईसी प्रभारी श्रीमती जयश्री जोशी,पार्षद सतीश देवांगन,अमित देवांगन, श्रीमती निर्मला साहू,श्रीमती ठाकुर, एल्डरमेन हरीश साहू,प्रभारी कार्यपालन जितेंद्र समैया,उपअभियंता पंकज साहू, महामंत्री पप्पू श्रीवास्तव,विकास यादव,श्रीमती नीलू सिंह के अलावा बड़ी संख्या में वर्डनागरिक उपस्थित थे।निगम दुर्ग द्वारा वार्ड 19 में 6 लाख हजार रूपये की लागत से पटरीपार के नागरिको को मिलेगी सड़क की सुविधा, सीमेंटीकरण सड़क रज्जू किराना स्टोर्स और साई मेडिकल दुकान के पास तक निर्माण कराया जाना हैं।जिससे पटरी पार के नागरिको बड़ी सुविधा मिलेगी।

चंदूलाल चंद्राकर के पूर्व कर्मियों को मिलेगा न्याय

प्रशासन की पहल के बाद खत्म हुआ आंदोलन

दुर्ग/नवप्रदेश। विगत कई दिनों से अनशन कर रहे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप् हो गई है। कलेक्टर की पहल पर हुई बैठक के बाद आंदोलनरत् कर्मियों में न्याय की उम्मीद जगी है। उक्त बैठक में कुल 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा पूर्व कर्मियों की विस्तृत जानकारी जुटाने और उन्हें रोजगार प्रदान करने शासन से अभिमत मांगने का निर्णय लिया गया।

चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का शासकीयकरण करने के चलते यहां कार्यरत् कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इनमें से कई कर्मचारी काफी लम्बे समय से यहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। शासकीयकरण की प्रक्रिया के चलते बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया। नतीजतन रोजगार से प्रभाति इन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारम्भ की थी। यह हड़ताल काफी दिनों से चल रही थी। गत दिवस कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आंदोलनरत् इन कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में कुल 5 बिदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक, मेडिकल कालेज कचांदुर के सभी भूतपूर्व कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रतिनिधिमंडल को दिया गया। वहीं प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियों में कर्मचारी का नाम, पदनाम, संस्था, पदभार ग्रहण करने की तिथि, मोबाइल नम्बर, स्थायी पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पूर्व में प्राप्त अनुमानित वेतन के साथ ही मेडिकल कालेज का नियुक्ति पत्र समेत अन्य जानकारियां अलग-अलग प्रस्तुत करने को कहा गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत जानकारियों से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और इसे शासन को भेजा जाएगा, ताकि भूतपूर्व कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही भूतपूर्व कर्मचारियों का आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का भी फैसला लिया गया। कर्मचारियों के साथ प्रशासन की हुई बैठक के बाद भूतपूर्व कर्मियों में रोजगार को लेकर एक नई आस जगी है।

बृहस्पति बाजार 8 सीसीटीवी कैमरों से हुआ लैस, चोरों पर होगी नजर

बिलासपुर/नवप्रदेश। बृहस्पति बाजार में आये ग्राहकों की बाइक, स्कूली एवं अन्य सामान की चोरी पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने हेतु मिशन सिक्योर सिटी के तहत पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रतन लाल डांगी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारुल माथुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं सिटी पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन मंजुलता बाज मार्गदर्शन पर बृहस्पति बाजार व्यापारी संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्य गणों से सीएसपी सिविल लाइन एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु चर्चा उपरांत सहमति मिलने पर, उनके साथ-साथ बाजार के आसपास के व्यापारियों से भी चर्चा कर जनसहयोग से 8 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। उक्त सीसीटीवी कैमरा लगने से चोरी की घटना के साथ साथ अन्य छोटी बड़ी घटना में भी आरोपी तक पहुंचने में सहयोग मिलेगा व बाजार में आये ग्राहकों का बाइक स्कूटी आदि चोरी नही होगा।

उक्त सीसीटीवी कैमरा को आज बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप के द्वारा बृहस्पति बाजार सब्जी मंडी अध्यक्ष श्याम कुमार साहू ,सन पेंट के संचालक अनिल कुमार मतलानी के साथ लगे सभी सीसीटीवी कैमरा का टेस्टिंग किया गया, बिलासपुर पुलिस व्यपारियों एवं कॉलोनीवासियों से अनुरोध करता है कि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा अपने-अपने परिसर में लगावे ताकि किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के सहयोग मिल सके।

अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान का दूसरा दिन होर्डिंग पर चला जेसीबी

- कल भी कार्रवाही होगी, अभियान लगातर जारी रहेगी
- विज्ञापन एजेंसी को निगम की सख्ती का हुआ असर स्वयं कटर से कटवा रहे होंडिंग है

दुर्ग/नवप्रदेश। नगर पालिक निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर आज बुधवार निगम अमले ने जी.ई.रोड बीआईटी कॉलेज के पास सड़क किनारे में बड़े अवैध होंडिंगो पर नगर निगम ने कार्रवाई कर जेसीबी से तोड़कर हटवाया गया। विज्ञापन एजेंसी द्वारा निगम की सख्ती दिखाए जाने पर स्वयं कटर के माध्यम से अपना होंडिंग को कटवाकर रख रहे है। निगमायुक्त के निर्देश शहर में बीआईटी कॉलेज से लेकर मिनी माता चौक तक जितने भी अवैध होंडिंग लगे हुए है उसको हटाने के लिए निर्देशित किया है। नगर पालिक निगम बाजार विभाग,राजस्व विभाग, अतिक्रमण व उड़नदस्ता अमले ने आज कार्रवाही का दूसरा दिन भी जीईरोड बीआईटी कॉलेज सड़क किनारे बड़े एवं छोटे अवैध होंडिंग को जेसीबी से हटावाया। इस मौके पर अतिक्रमण विभाग अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, उड़नदस्ता अधिकारी शिव शर्मा,सहायक प्रभारी ईश्वर वर्मा,शशिकांत यादव,भुवान दास साहू,दीपक निषाद,राजेश दग्गर,मन्नी मन्हारे, के अलावा अमला मौजूद थे। आयुक्त हरेश मंडावी के सख्त निर्देश पर अमले ने जी.ई रोड पर स्थापित अवैध होंडिंग को हटाया गया।जी.ई रोड पूर्व में दीपक जैन दीपक एडवटाइस्मेंट को शहर से होडिंग हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। बीआईटी कॉलेज से लेकर मिनी माता चौक तक अवैध होंडिंग पर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए साढ़े 8 लाख रूपए का अनुदान

मनेन्द्रगढ़। भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो की पहल पर राज्य सरकार ने भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु साढ़े 8 लाख रूपए का अनुदान आवंटित किया है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा अनुदान आवंटन से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वीकृत राशि से ग्राम पंचायत ओदारी स्थित महामाया मंदिर, ग्राम पंचायत कुशहा के सीता कुण्ड एवं पोड़ी स्थित केतकीझरिया मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु पृथक-पृथक डेढ़-डेढ़ लाख रूपए तथा ग्राम पंचायत कटगोड़ी में यात्री प्रतीक्षालय के पीछे स्थित शिव मंदिर एवं ग्राम पंचायत घुघरा के ग्राम देवता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु 2-2 लाख कुल साढ़े 8 लाख रूपए का अनुदान आवंटित किया गया है। विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि मंदिर हमारे प्राचीन धरोहर हैं। हमारे ग्राम देवालय एवं प्राचीन मंदिरों के मरम्मत हेतु पूर्व सरकार ने कभी कोई पहल नहीं की, लेकिन भरतपुर-सोनहत के अधिकांश प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अब तक 50 लाख से अधिक की राशि संपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए कृतसंकल्पित भूपेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

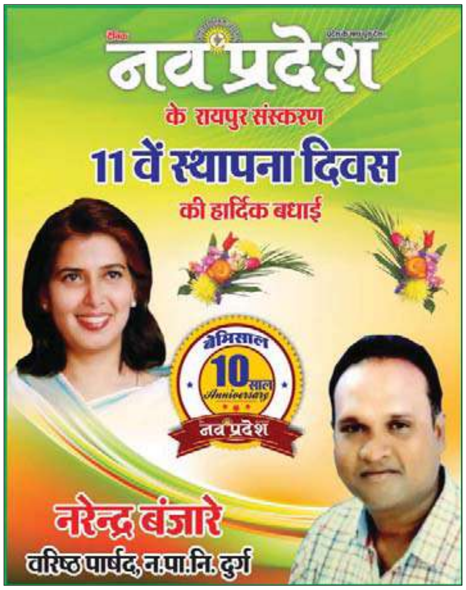

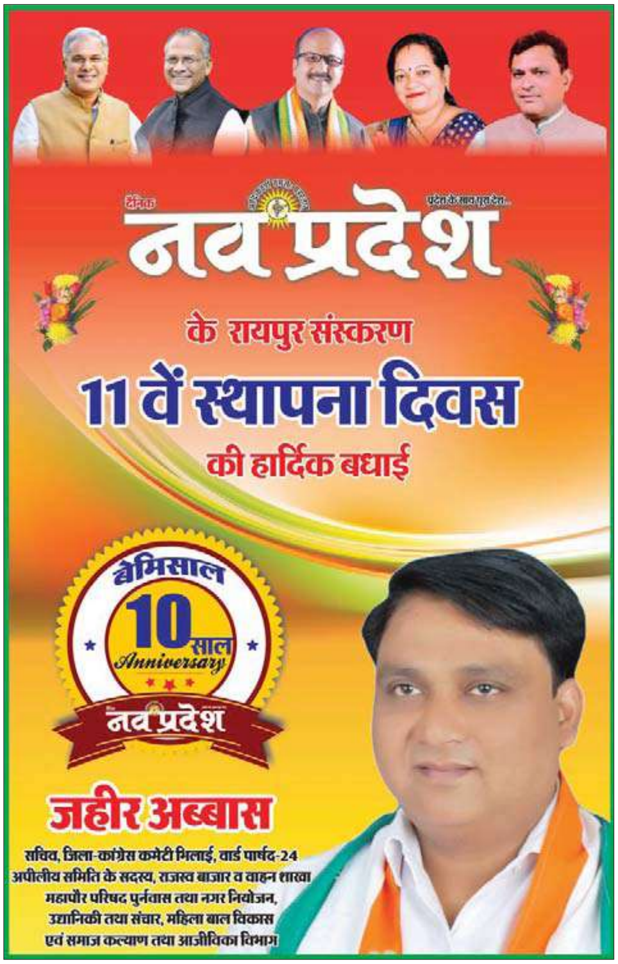

सीएम ने किया अमर शहीद गुण्डाधुर की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमकाल दिवस के एक दिन पहले आज अपने रायपुर निवास कार्यालय से नगर पालिका कांकेर के घड़ी चौक में स्थापित अमर शहीद गुण्डाधुर की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद गुण्डाधुर को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने बस्तर में भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया। भूमकाल आंदोलन सन् 1909 में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन आदिवासियों के स्वाभिमान, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन तथा आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों से लोहा लिया। वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। उन्होंने आदिवासी समाज को जोड़ा।

मुख्यमंत्री ने अमर शहीद गुण्डाधुर की प्रतिमा का किया वर्चुअल लोकार्पण

विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, नगरपालिका कांकेर अध्यक्ष सरोज ठाकुर, जिला पंचायत कांकेर अध्यक्ष हेमन्त ध्रुव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्षद, गोंडवाना समाज के अनेक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक इस अवसर पर कांकेर में उपस्थित थे।

सीएम बघेल ने कहा कि 1857 की क्रांति के पहले ही परलकोट के राजा अमर शहीद गैंद सिंह ने 1925 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। 1857 की लड़ाई में अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। हमारे इन जननायकों ने अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर गिरवी नही रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे इन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अमूल्य योगदान जिस तरह रेखांकित होना था, वैसा रेखांकित नही हो पाया। अब हमारा आदिवासी समाज जागृत हो रहा है और इन वीरों के योगदान को रेखांकित करने के साथ उनका स्मरण कर रहा है।

वर्चुअल लोकार्पण

राज्य सरकार ने आदिवासियों के हित में उठाए अनेक कदम

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। जमीन वापसी, किसानों की ऋण माफी के साथ वनवासियों को वन अधिकार देने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया। वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और उनके वेल्यू ऐडिशन के साथ कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इन कार्यो से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है।

इनके साथ-साथ आदिवासी अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के बेहतर उपाय किए गए हैं। बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए। बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें अच्छे अवसर उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी भाई अस्पताल नहीं जाते हैं, इसलिए हाट बाजार क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई, जिसका यह सुखद परिणाम रहा कि बस्तर में उल्टी, दस्त और डायरिया के प्रकरण में कमी आई।

बस्तर में मलेरिया के मामले में आई उल्लेखनीय कमी

सीएम ने कहा कि बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान से मलेरिया के मामले में भी उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया, जिससे बच्चों और महिलाओं में कुपोषण कम हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि बस्तर के लोग शारीरिक रूप से सशक्त हों, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके साथ उन्हें अधिकार मिलें, तो वे और आगे तरक्की करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अमर शहीद गुण्डाधुर की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने के लिए कांकेरवासियों द्वारा उनकी प्रतिमा की स्थापना के कार्य की सराहना की।

कार्यक्रम से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मण्डावी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि भूमकाल क्रांति के महानायक अमर शहीद गुण्डाधुर ने आजादी के 37 साल पहले सन् 1910 में बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जिनके कब्जे में पूरा देश था। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासियों के समग्र विकास और उनकी संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यो का विस्तार से उल्लेख किया।

भूमकाल आंदोलन आदिवासियों के स्वाभिमान, जल, जंगल, जमीन

आदिवासी समाज समेत पूरे बस्तर को करेंगे गौरवान्वित

कांकेर में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर में आज स्थापित की जा रही अमर शहीद गुण्डाधुर की प्रतिमा (Launch) आदिवासी समाज सहित सम्पूर्ण बस्तर को गौरवान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर के शूरवीरों ने आजादी की अलख जगाई और सारे समाज को एक सूत्र में पिरोया।

न्यूज गैलरी

डॉ त्रिवेदी 2 वर्षों तक कोरोना मरीज़ों के बीच रहने के बाद भी नहीं हुए संक्रमित

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना की शुरूआत से आज दिनांक तक संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले डॉ. उत्कर्ष त्रिवेदी ने एक रिकार्ड कायम किया है। दरअसल वे आज तक कोरोना संक्रमित नहीं हुए है। बता दें कि राजधानी रायपुर के डॉ. उत्कर्ष त्रिवेदी कोरोना की पहली लहर से ही संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे है। उनके दो छोटे बच्चे हैं, इस बात का भी उन्हें कभी भय नहीं सताया। मरीजों का कहना है कि उनके पास इलाज कराने के लिए जाने से उनमें? जीवन जीने की चाह बढ़ जाती है। इसका कारण उनका मरीजों के साथ अपनापन है। उन्होंने अपनी होमियोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से लगभग 20000 से अधिक कोरोना संक्रमितो का इलाज अपने पास बिठाकर किया। उन्हें छूकर उनसे बात करके दवाइयों के उपचार के साथ साथ मरीजो को मानसिक रूप से मज़बूत कर इस बीमारी से लड़ने का हौसला भी बढ़ाया। ऐसे कई मरीज़ थे कोरोना काल में जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 ,65 तक गिर चुका था। वैसे लोग भी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है।

महिला की मिली लाश, मामला दर्ज

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर से सटे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में महिला की लाश मिलने से सनसनी फ़ैल गई। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पालोद मोड़ के पास महिला की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी है। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और लोगों से पूछताछ कर रही है। वही मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद भी सबकुछ स्पष्ट होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच की जा रही है। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए

समर्थन मूल्य पर अब 61 लघु वनोपजों की खरीदी

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस तरह छत्तीसगढ़ में लगभग तीन वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है।

तीन वर्ष में लघुवनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर की 61 गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 से बढ़ाए गए 61 लघु वनोपजों में हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा (फूड ग्रेड), झाड़ू छिंद (घास), कोदो, कुटकी (काला), कुटकी (भूरा), रागी, अमचूर (सफेद) तथा अमचूर (भूरा) नवीन लघु वनोपज शामिल है।

निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार इनमें हर्रा बाल 30 रूपए, महुआ फूल कच्चा (फूड ग्रेड) 10 रूपए , झाडू छिंद (घास) 15 रूपए, कोदो 30 रूपए, कुटकी (काला) 30 रूपए, कुटकी (भूरा) 30 रूपए, रागी 33.77 रूपए, अमचूर (सफेद) 120 रूपए तथा अमचूर (भूरा) 80 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी की जाएगी। इस संबंध में प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में वर्तमान में समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी की जा रही लघु वनोपजों में संग्रहण दर मालकांगनी बीज (सूखा) 100 रूपए, बायबडिंग 94 रूपए, कालमेघ/भूईनीम (सूखा) ग्रेड-1-35 रूपए, कालमेघ/भूईनीम (सूखा) ग्रेड-2- 31.50 रूपए, आंवला (बीज रहित) सूखा 57 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।

इसी तरह रंगीनी लाख/छिली लाख (सूखा) 220 रूपए, रीठा फल (सूखा)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
नगर निगम मुख्यालय नया प्रशासनिक भवन, गांधी चौक, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-25355780, फैक्स:0771-227395
ई मेल : dcrmc@reddiffmail.com
ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना
नामांतरण प्र.क्र. 302/2021-22
... उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में किसी को कोई दावा आपत्ति हो तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।
जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com
आम सूचना
... अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/अर्धशासकीय संस्था, निकाय बैंक तथा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, रायपुर

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ... उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ... उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ... उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
नगर निगम मुख्यालय नया प्रशासनिक भवन, गांधी चौक, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-25355780, फैक्स:0771-227395
ई मेल : dcrmc@reddiffmail.com
ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना
नामांतरण प्र.क्र. 301/2021-22
... उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।
जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
ईश्तहार
रा.प्र.क्र. अ/6 (अ) वर्ष 2021-22
ग्राम- पटपर प.ह.नं. 39
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक सुरेश कुमार मंधानी पिता अमरलाल मंधानी निवासी सदर बाजार वार्ड, भाटापारा तहसील जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पटपर प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. पटपर तहसील भाटापारा में स्थित भूमि के नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि कम्प्यूटरीकृत भुईयां राजस्व अभिलेख में खसरा नं. 182/1, 182/4, 182/5, 182/10, 1182/6ख, 182/8 का टु. रकबा 0.015 हे. भूमि के खसरा नंबर आन लाईन अभिलेखों में नाम पर दर्ज नहीं है, जबकि आवेदक उपरोक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय कर राजस्व अभिलेख में नामांतरण क्रमांक 323 आदेश दिनांक 04/06/2011 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय कर काबिज चले आ रहे है, जिसका भू अधिकार पुस्तिका पी-1357748 नामांतरण दर्ज पश्चात ...
... हेतु नियत दिनांक 25.02.2022 को स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निश्चित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
अतः उपरोक्त उद्घोषणा आज दिनांक 01.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर वो न्यायालय के पद मुहर से जारी किया गया है।
सील तहसीलदार
भाटापारा (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
ईश्तहार
रा.प्र.क्र. 202201082200018
अ/20 (4) / 2021-22
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भगवान बिहारी पिता रमेश कुमार साकिन कवर्धा जिला कबीरधाम ने ग्राम कवर्धा प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. कवर्धा जिला कबीरधाम स्थित भूमि ख.नं. 423/56 रकबा 0.0210 हे. जो कि आवेदक के नाम पर पटवारी रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से आवेदक द्वारा क्षेत्रफल 60.50 वर्गमीटर पर ग्राउण्ड फ्लोर आवासीय प्रयोजन हेतु संलग्न नक्शे के अनुसार पक्का मकान (भवन) निर्माण किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ...
... कर सकते हैं। अतः आज दिनांक 11/02/2022 को इस न्यायालय के पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
जारी दिनांक 12/01/2022
पेशी दिनांक 11/02/2022
सील नजूल अधिकारी
कबीरधाम

न्यायालय तहसीलदार डोंगरगढ़ के न्यायालय में मामला क्रमांक 202202092200025
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
पीपरखारखुर्द (प.ह.नं. 00022)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - बैसाखू उर्फ कवलराम,
अनावेदक पक्षकार -
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बैसाखू उर्फ कवलराम आ. सरजूराम धुर्वे जाति गोंड निवासी ग्राम पीपरखारखुर्द तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के शामिलात शरीक में ग्राम पीपरखारखुर्द प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. बेलगांव तहसील डोंगरगढ़ स्थित खसरा नं. 53/5, 92/1, 92/3, 92/4 रकबा क्रमशः 0.134, 0.117, 0.081, 951 हे. कुल खसरा नं. 04 कुल रकबा 1.283 हे. भूमि स्थित है। ...
... को उजर या आपत्ति हो तो वह ईश्तहार प्रकाशन दिनांक 21/02/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 02/02/2022 को जारी किया जाता हैं।
सील तहसीलदार
डोंगरगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी बेलभाठा (अभनपुर) जिला रायपुर में स्थित अटल आवास योजनांतर्गत निर्मित अटल आवास भवन क्र.-540 श्री छन्नु सिंह क्षत्रिय पिता श्री गैंद सिंह क्षत्रिय के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 4165 दिनांक 19.06.2009 के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 04.09.2009 को लीजडीड पंजीकृत करा लिया गया है। मूल आबंटी श्री छन्नु सिंह क्षत्रिय पिता श्री गैंदसिंह क्षत्रिय निवासी-मेन रोड गोगांव, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) की मृत्यु दिनांक 10.04.2021 को हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती जय भारती ठाकुर पति स्व. श्री धन्नु सिंह क्षत्रिय निवासी-मेन रोड गोगांव ...
... उक्त भवन का मृत्यु उपरांत नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी सेजबहार जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र. 1108 सुश्री रश्मि श्रीवास्तव पिता श्री आर.एन. श्रीवास्तव के नाम पर इस कार्यालय का आबंटन आदेश क्र. 3681 दिनांक 11.10.2012 के माध्यम से एकमुश्त आधार पर आबंटित है। वर्तमान में आबंटी सुश्री रश्मि श्रीवास्तव पिता श्री आर.एन. श्रीवास्तव निवासी- म.नं. एम-46, ग्रुप-4 कुशाभाऊ ठाकुर परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर सिहानी बर्तन के सामने, रविग्राम तेलीबांधा रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्रीमती किरण रवि पति श्री इन्द्रजीत रवि निवासी- ग्राम मेधुली पोस्ट चाकी, जिला बलरामपुर (छ.ग.) के पक्ष में विक्रय ...
... हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग
उद्घोषणा
अ-06/ वर्ष 2021-22
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुश बख्तियार पिता रामचंद्र बख्तियार निवासी ग्राम जीवन नगर तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 38/3/2, 38/3/3, 38/3/4, 38/3/5, 38/3/6 रकबा 0.050 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती पूनम नरेश पति विष्णु कुमार नरेश निवासी ग्राम दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20/1/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में ...
... लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 31/1/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
सील तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र
चुरामन सिंह चन्द्राकर आ. भुनेश्वर लाल चंद्राकर
रजिस्ट्रेशन नं.- 202201100400293
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चुरामन सिंह चंद्राकर आ. श्री भुनेश्वर लाल चंद्राकर, म.नं. 47, सड़क 01 प्रगतिनगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र 59 छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।
अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	676/79	0.010 हे 1200 वर्गफीट	आवासीय

... यह उद्घोषणा आज दिनांक 25/01/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग, जिला दुर्ग

कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
व्यक्तिगत सूचना
रा.प्र.क्र.202111101000026
अ-6/ वर्ष 2021-22
प्रति,
श्रीमती प्रभा बाई पति प्रभाकर
निवासी भिलाई
एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक-राजू काशीराम पाटिल पिता के.बी. पाटिल निवासी-शांति नगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 19 स.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. पुराना 451/42,451/43 रकबा 0.014,0.014 हे. नया खसरा न. 5337 व 5338 बना वर्तमान राजस्व अभिलेख विक्रेता प्रभा बाई पति प्रभाकर के नाम पर दर्ज है। जो त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में आवेदिका की माता क्रेता वत्सला बाई पति के.बी. पटेल की मृत्यु दिनांक 24/05/2006 को हो गया है। ...
... आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला क्रमांक 202201100900094/202201100900094
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
सेलूद प.ह.नं. 00027 [743(0.0500 हे.)]
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - अशोक बंछोर
अनावेदक पक्षकार -
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम सेलूद प.ह.नं. 27 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक अशोक बंछोर पिता केजूराम बंछोर निवासी सेलूद द्वारा अनावेदकगण केजूराम बंछोर आ. शिवसिंग के हक के स्वामित्व भी निवासी ग्राम सेलूद हल्का नं. 27 स्थित भूमि ख.न. 743 रकबा 0.65 हे. को केजूराम के नाम पर दर्ज है। कूजूराम का दिनांक 10.04.2018 को फौत हो जाने से उनका नाम विलोपित कर सभी पक्षकर अपना नाम फौती ...
... यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 25/01/2022 को जारी किया जाता है।
सील तहसीलदार
पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला क्रमांक 202202100900020/202202100900020
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
मटंग (प.ह.नं. 00029)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - सदाराम
अनावेदक पक्षकार -
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम मटंग प.ह.नं. 29 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक सदाराम आ. धनुक निवासी मटंग द्वारा ग्राम मटंग प.ह.नं. 29 तहसील पाटन कृषि भूमि ख.नं. 124, 948/3, रकबा क्रमश. 0.21, 0.38 हे. संयुक्त खाते भूमि का खाता विभाजन किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। ...
... यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 09/02/2022 को जारी किया जाता है।
सील तहसीलदार
पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202202101000098/202202101000098
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
जामुल प.ह.नं. 00018 [(हे.)]
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - तीरथ राम साहू
अनावेदक पक्षकार -
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तीरथ राम साहू पिता धनुषराम साहू पता भिलाई द्वारा ग्राम जामुल प.ह.नं. 18 रा.नि.म. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 101/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 101/8 का नक्शा ऑनलाईन में जेड शमिल दिखा रहा है जिसे सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ...
... यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 09/02/2022 को जारी किया जाता है।
सील अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग
उद्घोषणा
प.नं. 202202100400022
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मल्लू सोनी आ. मंगीलाल सोनी निवासी गिरधारी नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-दुर्ग प.ह.नं. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 729/52 रकबा 0.007 हे. वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्न निर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के ...
... यह उद्घोषणा आज दिनांक 01/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
सील अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र. 202201100700269
अ-6/2021-22
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जितेन्द्र कुमार देवांगन पिता स्व. राजू लाल देवांगन निवासी ग्राम मठपारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 946/2 रकबा 0.0180 हे. भूमि को विक्रेता सुखनंदन लाल पिता स्व. सुंदरलाल निवासी ग्राम गिरधारी नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 21.02.22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। ...
... आज दिनांक 22/01/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
जारी दिनांक 22/01/2022
सुनवाई दिनांक 11/02/2022
सील तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र./...../अ-27/2021-22
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नीलाम्बर देशमुख आ. भुनेश्वर उर्फ दुखित निवासी ग्राम जंजगिरी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम जंजगिरी तहसील व जिला दुर्ग स्थित खाता क्रमांक...... में दर्ज भूमि खसरा नं. 177, 468, 471, 843, 1168 रकबा 0.0390, 0.490, 0.270, 0.010, 0.410 हे. आवेदक नीलाम्बर अन्य के नाम पर शामिलात रूप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में हुए आपसी बंटवारा एवं कास्त कब्जा के आधार पर पृथक-पृथक सामान हिस्सों में खाता विभाजन किये जाने हेतु ...
... आज दिनांक 02/02/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र./........./अ-74/2021-22
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंचम साहू पिता स्व. जुगतू साहू निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 253/6, 253/7, 520 रकबा 0.5180, 0.1460, 0.2020 हे.भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ...
जारी दिनांक 28/01/2022
सुनवाई दिनांक 14/02/2022
सील तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला क्रमांक 202202100900007/202202100900007
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
गोड़पेंडरी (प.ह.नं. 00023)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - गायत्री जंकियानी
अनावेदक पक्षकार -
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम गोड़पेंडरी प.ह.नं. 23 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका गायत्री जंकियानी पिता स्व. भीमसेन निवासी सिंधी कॉलोनी, रायपुर नाका दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ग्राम गोड़पेंडरी प.ह.नं. 23 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने पिता भीमसेन पिता गोविंदराम के द्वारा पुराना ख.नं. 325/1 का टु. रकबा 11 डिस. भूमि को मंदाराम पिता सुधासुराम से दिनांक 14.11.1983 को क्रय किया जाना बंदोबस्त पश्चात नया ख.नं. 962 ...
... यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 03/02/2022 को जारी किया जाता है।
सील तहसीलदार
पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

संपादकीय

अब हिजाब पर विवाद

हमारे देश में राजनीति करने के लिए व्यर्थ का बवाल खड़ा करने की होड़ लगी हुई है। अब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा किया गया है। जो कर्नाटक की सीमा लांघ कर कई राज्यों में फैल गया है। हिजाब के समर्थन और विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। इस विवाद में अब पाकिस्तान भी कूद गया है। पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि हिजाब पहनने से छात्राओं को नहीं रोका जाना चाहिए। नोबल पुरस्कार प्राप्त मलाला यूसूफजई ने भी इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होने कहा है कि हिजाब न पहनने देना भयावह है। भारत के राजनीतिक दलों के नेता तो पहले ही इस मामले को लेकर आग में घी डालने का काम कर रहे है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने के आदेश को अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने का षडयंत्र करार दे दिया है। जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का बयान दिया है। असउद्दीन ओवैसी भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे है, उनका कहना है कि किसी को क्या पहनना है यह उसका संवैधानिक अधिकार है। इसी तरह की बातें कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता भी कर रहे है। कुल मिलाकर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जबकि सीधी सी बात यह है कि किसी भी स्कूल या कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या पहनना है यह तय करना उन स्कूलों और कालेजों का काम है। हर शिक्षण संस्थान का अपना ड्रेसकोड होता है। वहां पढ़ने वालों को ड्रेसकोड का पालन करना पड़ता है। कोई भी कुछ भी पहनकर नहीं जा सकता। ऐसे में कर्नाटक में राज्य सरकार के फैसले को लेकर विवाद खड़ा करना शुद्ध राजनीति है। यह ठीक है कि हर राजनीतिक दल को विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीति करने का अधिकार है लेकिन मासूम छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के निशाना साधना कतई उचित नही है। हिजाब को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है। वह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग नजर आता है। बहरहाल अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है जिसका फैसला आने के बाद ही इस विवाद का पटाक्षेप होगा। राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वे इस मामले में राजनीति न करें और वैमनस्यता न फैलाएं।

विचार

बजट से मध्यवर्ग का रहा-बचा नाता

मध्यवर्ग के लिए बजट का दिन दो चीजों का हिसाब जोड़ने का दिन होता था। क्या-क्या सस्ता या महंगा हुआ, और इनकम टैक्स का क्या हुआ? जीएसटी आने के बाद से वस्तुओं के दाम घटने-बढ़ने की कहानी तो बजट में अब करीब-करीब नहीं ही होती है। अब बचा इनकम टैक्स, तो हर साल ही लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार उन्हें कुछ राहत देगी। और इस साल तो बहुत सारे लोग यह आस लगाए बैठे थे कि वित्त मंत्री नीचे के स्लैब में टैक्स भरने वालों को कुछ न कुछ राहत जरूर देंगी।

यह उम्मीद बेवजह भी नहीं थी। पिछले आठ साल से इनकम टैक्स की लिमिट, यानी वह आमदनी जरा भी नहीं बदली है, जिसके बाद आपको अपनी कमाई पर आयकर चुकाना पड़ता है। साल 2014 में मोदी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सीमा सालाना दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की थी। बुजुर्गों के लिए इसे ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया था। तब से अब तक करमुक्त आय की सीमा बिल्कुल नहीं बदली है। हालांकि, कुछ छूट को जोड़ लें, तो पांच लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं भरना पड़ता और टैक्स की शुरुआत उससे ऊपर की कमाई पर ही होती है।

वैसे, टैक्स बचाने के लिए सरकार ने कुछ रास्ते दे रखे हैं। आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कुछ खास योजनाओं में डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर में छूट मिलती है। यह सीमा भी आखिरी बार 2014 के बजट में ही बढ़ाई गई थी। इसे एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किया गया था। और घर कर्ज के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा भी डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई थी। उसके बाद इसमें हल्का-फुल्का फेरबदल होता रहा है। मसलन, साल 2015 में वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाने वालों को 50 हजार रुपये तक की छूट अलग से देने का एलान किया और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर छूट की सीमा भी 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी। तब से अब तक बस इंतजार ही चल रहा है। बल्कि बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा, उससे तो बात और पेचीदा हो गई है। उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में आयकर में कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कोरोना के झटके से उबरने का प्रयास कर रही है और वित्त मंत्री का कहना है कि ऐसे में वह लोगों पर भार नहीं बढ़ाना चाहती थीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर कोरोना का संकट न होता, तो शायद वह इनकम टैक्स का भार बढ़ाने पर भी विचार कर सकती थीं? खैर, जो हुआ ही नहीं, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन यह समझना बहुत आसान है कि लोग इस बजट में इनकम टैक्स पर राहत की उम्मीद क्यों कर रहे थे।

आठ साल से बदलाव नहीं हुआ। जाहिर है, कमाई बढ़ी, इसीलिए टैक्स भी बढ़ा, लेकिन साथ में खर्च भी तो बढ़ा है और कोरोना की मार ने तमाम परिवारों का गणित बिगाड़कर रख दिया है। ऐसे में, उन्हें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगी ही।

ह्यूडंई-कैया को इस्ट इंडिया कंपनी मत बनाओ

विष्णुगुप्त

फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर प्रतिबंधित होने के कारण चीन में व्यापार नहीं कर सकती हैं। अगर ह्यूडंई और कैया जैसी किसी कंपनी ने चीन की संप्रभुत्ता पर प्रश्न खड़ा करती तो फिर चीन उसकी फैक्टरी पर ताला जड़ देता और उसके मालिकों को सीधे जेल में डाल देता। क्या आपने तिब्बत का प्रश्न उठाते किसी चीन में व्यापार करने वाली कपंनियों को देखा और सुना है? इस्ट इंडिया कंपनी का सबक समाने है। कभी इस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आयी थी। इस्ट इंडिया कंपनी को ह्यूडंई और कैया जैसी कंपनियों की तरह छूट मिलती चली गयी। एक दिन ऐसा आया जब इस्ट इंडिया कंपनी खुद भारत का भाग्य विधाता बन गयी और भारत को गुलाम बना दी । भारत ने गुलामी की कितनी बड़ी कीमत चुकायी थी, यह भी मालूम है।

ह्यूडंई-कैया को इस्ट इंडिया कंपनी मत बनाओ। इन्हें भारत की संप्रभुत्ता से खेलने की छूट मत दो। विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने आयी हैं, इन्हें व्यापार तक ही सीमित रखो। ह्यूंडई और कैया की पाकिस्तान परस्ती और कश्मीर प्रकरण ने देश की संप्रभुत्ता को न केवल ललकारा है बल्कि एक गंभीर चुनौती भी दी है। यही कारण है कि देश में इसकी गंभीर प्रतिक्रिया हुई है और ह्यूडंई-कैया जैसी वे सभी विदेशी कंपिनियां जो भारत की संप्रभुत्ता का हनन करती हैं पर प्रतिकात्मक नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई की अपेक्षा हुई है। ह्यूडंई-कैया के खिलाफगंभीर प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए थी, अगर गंभीर प्रतिक्रिया नहीं होती तो फिर भारत सरकार भी नहीं जागती, भारत सरकार नहीं जागती तो फिर ह्यूडंई-कैया कंपनियों को अपनी गलती का अहसास भी नहीं होता, भारत सरकार द्वारा उन्हें कार्रवाई का भी डर नहीं होता और वे आगे भी इसी तरह धूर्तता करती रहतीं।

ह्यूंडई-कैया जैसी विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने आती हैं, भारत के व्यापार का भरपूर दोहन करती हैं और फिर भारत को ही आंख दिखाती हैं, भारत की एकता-अंखडता में मट्ठा डालती हैं। इनकी ऐसी धूर्तता कब और कैसे समाप्त होगी? यह एक यक्ष प्रश्न है। वास्तव में हमनें रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था मजबूत होने के दृष्टिकोण से विदेशी कंपनियों को सिर आंखों पर बैठा रखा है, उन्हें हमने मनमानी करने की छूट दे रखी है, उनकी शर्तो का हम गुलाम हो गये हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तब उनकी मनमानी बढेगी और खुशफहमी भी बढ़ेगी। रोजगार और अर्थव्यवस्था से भी बहुत जरूरी है देश की संप्रभुत्ता और देश की एकता-अखंडता। हमारे लिए देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। हमें हर स्थिति में विदेशी कपंनियों को भारत की संप्रभुत्ता का पाठ पढ़ाना ही होगा। ह्यूडंई और कैया जैसी विदेशी कंपनियों को इस्ट इंडिया कपंनी बनने नहीं दिया जाना चाहिए। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान परस्ती है, पाकिस्तान भक्ति है और भारत विरोध का एक घिनौना करतूत है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर के विलय पर राजा हरि सिंह ने दबावहीन हस्ताक्षर किये थे। भारत की सेना ने प्राणों की बाजी लगा कर कश्मीर की रक्षा की थी और पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ा था। जवाहरलाल नेहरू की मूर्खता के कारण कश्मीर को पाकिस्तान हमलावरों से भारतीय सेना मुक्त नहीं करा पायी थी।

पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। गुलाम कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ किसी भी परिस्थिति में रहना नहीं चाहते हैं, गुलाम कश्मीर के लोगों को बलपूर्वक और पुलिस-सेना के उत्पीड़न के माध्यम से पाकिस्तान की संप्रभुत्ता के अंदर रखा जा रहा है। सच तो यह है कि गुलाम कश्मीर के लोग भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। ह्यूडंई-कैया जैसी विदेशी कंपनियां इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार करती हैं? ह्यूडंई-कैया जैसी कंपनियां गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान के अत्याचारों और दमन और उत्पीड़न की हिंसक कार्रवाइयों पर संज्ञान क्यों नहीं लेती हैं? पाकिस्तान अपने यहां ही बलूच आबादी का नामोनिशान मिटाने पर तुली हुई है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है।

विदेशी कपंनियां हदें पार कर रही हैं। अमेजन कभी भारत की संस्कृति का उपहास उड़ाने वाली वस्तुएं बेचता है तो कभी फेसबुक और ट्विटर जैसी शोसल साइडें भारत की संप्रभुत्ता का विनाश करती हैं, भारत के कानूनों को मानने से इनकार कर देती हैं। गूगल कभी भारत का गलत और विनाशकारी नक्शा दिखा देता है। मीडिया विदेशी कंपनी बीबीसी बार-बार भारत की संप्रभुत्ता की कब्र खोदती हैं। हदें पार करने के बावजूद भी इन्हें शर्म नहीं आती है, इन्हें कोई पछतावा नहीं होता है, इन्हें कोई डर-भय नहीं होता है, व्यापार खोने की भी चिंता इन्हें नहीं होती है। आखिर उन्हें संप्रभुत्ता हनन के बाद भी कोई डर-भय क्यों नहीं होता है? व्यापार खोने की कोई चिंता क्यों नहीं होती है? वास्तव में उन्हें यह मालूम है कि उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, उनका कुछ भी हानि नहीं होनी है, उनका व्यापार ऐसे ही चलता रहेगा, उन पर भारत के कानून असरहीन ही साबित होंगे। अगर भारतीय कानूनों की कोई वीरता उठी भी तो वे उत्पीड़न और भेदभाव का प्रश्न उछाल देंगे, प्रतिस्पर्द्धा हनन की बात उठा देंगे। वर्ल्ड ट्रेड आर्गोनाइजेशन की संहिताएं उनके पक्ष में खड़ी हैं। जिन देशों ने वर्ल्ड टेऊड आर्गोनाइजेशन की संहिताओं पर हस्ताक्षर किये हैं वे देश वर्ल्ड ट्रेड आर्गोनाइजेशन की संहिताओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संहिताओं के तहत भय मुक्त और दबाव मुक्त व्यापार के अवसर देने की बाध्यता है। पर जब कोई कंपनी सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और संप्रभुत्ता हनन की दोषी होती है तो फिर ऐसी करतूत के खिलाफ स्थानीय कानून और स्थानीय प्रशासन की संहिताएं ही प्रमुख होती है। स्थानीय संहिताएं और प्रशासन की संहिताएं ऐसी कंपनियों का दमन कर सकती हैं। अमेरिका कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तभी स्वीकार करेगा जब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून उनके कानूनों की कसौटी पर खरा उतरतें हों। अमेरिका या यूरोप में विदेशी कपंनियों द्वारा संप्रभुत्ता हनन की करतूत सोची भी नहीं जा सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई कपंनी अमेरिका और यूरोप में व्यापार कर तिजोरी भी भरे और अमेरिका-यूरोप की संप्रभुत्ता को भी रौंदें। चीन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चीन वर्ल्ड ट्रेड आर्गोनाइजेशन की संहिता के घेरे में जरूर है पर वह अपने कानून और अपनी संप्रभुत्ता को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। चीन ऐसे किसी भी व्यापारिक संस्थान को अपने यहां आने और व्यापार करने की अनुमति ही नहीं देता है जो उसकी तानाशाही को नहीं मानता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित करता है। चीन की तानाशाही को मानना अनिवार्य शर्त होती है। चीन की तानाशाही विभत्स है, हिंसक है और अमानवीय है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक या तो हिंसा के शिकार होते हैं या फिर जेलों में सड़ा दिये जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब जैसी कंपनियों की घुसपैठ नहीं है।

पूर्णिमा के चांद की तरह फैलती चांदी की दुनिया

नरविजय यादव

वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे बदलावों के मद्देनजर चांदी की मांग बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी। तकनीकी क्षेत्र में चांदी के अनेक उपयोग हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। 5जी के कई उपकरणों में चांदी का उपयोग होता है और अगले चार सालों में 5जी टैक्नोलॉजी में 500 टन तक चांदी की खपत होने का अनुमान है। इसी तरह, अगले चार वर्षो में कारों सहित ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सालाना 22 प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से 2800 टन चांदी की खपत हो सकती है। सांस की समस्याओं और कोविड के इलाज में प्रयोग होने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल होता है।

दुनिया भर में चांदी की मांग बढ़ रही है और इसकी वजहें कई सारी हैं। महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम एक आवश्यकता बनता गया, जिससे काम करने के तरीके भी बदलने लगे। दफ्तर के काम जब घर से होने लगे तो मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग में वृद्धि होती गई, जिनमें चांदी का काफी मात्रा में उपयोग होता है। पिछले पांच साल से विश्व में चांदी की डिमांड बढ़ी है, जबकि कोरोना काल में इसकी सप्लाई में बाधा पड़ी है। चांदी की माइनिंग कम हो रही है और मांग बढ़ रही है। अभी एक किलो चांदी का दाम 61 हजार रुपए है, जो इस साल बढ़कर 74 हजार रुपये होने का अनुमान है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि चांदी का दाम तीन साल में एक लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है। चांदी ने पिछले चार सालों में निवेश पर लगभग 63 प्रतिशत रिटर्न दिया है। भारत में पिछले साल ही सेबी ने सिल्वर ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की मंजूरी दी। ईटीएफकी बिक्री और खरीदारी एक्सचेंज पर होती है और शेयरों की तरह इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं।

वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे बदलावों के मद्देनजर चांदी की मांग बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी। तकनीकी क्षेत्र में चांदी के अनेक उपयोग हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। 5जी के कई उपकरणों में चांदी का उपयोग होता है और अगले चार सालों में 5जी टैक्नोलॉजी में 500 टन तक चांदी की खपत होने का अनुमान है। इसी तरह, अगले चार वर्षो में कारों सहित ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सालाना 22 प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से 2800 टन चांदी की खपत हो सकती है। सांस की समस्याओं और कोविड के इलाज में प्रयोग होने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल होता है। ग्रीन इनर्जी का महत्व सबको समझ आने लगा है, इसलिए सोलर इनर्जी की मांग में इजाफा हो रहा है और उसके उपकरणों में सिल्वर का खूब सारा इस्तेमाल होता है। चांदी उच्चतम तापीय चालकता वाली धातु है और सबसे अधिक परावर्तक धातु होने के कारण सौर पैनलों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में फोटोवोल्टिक सेल निर्माण को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के साथ चांदी की घरेलू मांग बढ़ेगी।

इस धातु का उपयोग दुनिया भर में एक और तेजी से बढ़ते सेगमेंट में होने लगा है, यह है जल और वायु शोधन। कुल मिलाकर देखें तो टैक्नोलॉजी की लोकप्रियता के कारण सिल्वर की मांग करीब करीब पूरी ही दुनिया में उठान पर चल रही है और बढ़ती ही जाएगी। चांदी आभूषण बाजार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश में चांदी की कुल मांग में आभूषणों की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है। साल 2020 में चांदी की मांग 1000 मीट्रिक टन से अधिक थी। चांदी न केवल सोने और प्लेटिनम की तुलना में सस्ती है, बल्कि नए जमाने में इसके डिजाइनों की भी भरमार है। महिलाओं के पैरों की पायल चांदी की ही होती है। विवाहित महिलाओं के लिए चांदी के गहनों में एक और चीज महत्वपूर्ण है- पैर की अंगुली में पहने जाने वाले छल्ले या बिछुए, जिन्हें प्रजनन क्षमता को बेहतर करने में उपयोगी माना जाता है।

इस धातु का उपयोग दुनिया भर में एक और तेजी से बढ़ते सेगमेंट में होने लगा है, यह है जल और वायु शोधन। कुल मिलाकर देखें तो टैक्नोलॉजी की लोकप्रियता के कारण सिल्वर की मांग करीब करीब पूरी ही दुनिया में उठान पर चल रही है और बढ़ती ही जाएगी। चांदी आभूषण बाजार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश में चांदी की कुल मांग में आभूषणों की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है। साल 2020 में चांदी की मांग 1000 मीट्रिक टन से अधिक थी। चांदी न केवल सोने और प्लेटिनम की तुलना में सस्ती है, बल्कि नए जमाने में इसके डिजाइनों की भी भरमार है। महिलाओं के पैरों की पायल चांदी की ही होती है। विवाहित महिलाओं के लिए चांदी के गहनों में एक और चीज महत्वपूर्ण है- पैर की अंगुली में पहने जाने वाले छल्ले या बिछुए, जिन्हें प्रजनन क्षमता को बेहतर करने में उपयोगी माना जाता है।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

जो भी काम करो

जो भी काम करो, साधना समझ कर पूरा करो। कर्म पथ पर चलते रहने में जीवन की सार्थकता है। जिस दिन हम रुक जाएंगे, समझो अंत हमारा है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता हैं, पर सच में,कर्म से पहचान बनाना व्यक्ति के अपने हाथ में है।

- रेनू शब्दमुखर

कहीं स्वर्ग के

कहीं स्वर्ग के जयगीतों से, सुर-लय-ताल-तान क्रुद्ध हो ! मंत्र-श्लोक के शब्द मौन हों,

प्रीत-गीत वितान रुद्ध हो ! गंधर्वो के लयभंगों पर , हों न शारद कहीं सवाली ! पड़ी जरूरत होगी विधि को, तब कोकिला धरती वाली। दुहरा लें गंधर्व गीत जब फिर भू पर आ जाओगी न! जीवन राग सुनाओगी न! पूछ रही भारत की मिट्टी फिर से वापस आओगी न। खुद को फिर दुहराओगी न।

- पंकज कुमार बसंत

खास पाती | नव श्रंगारित धरा का भाव

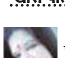

नव श्रंगारित धरा का भाव नयनाभिराम मंद मंद हिलोर पवन स्वप्न पलक विश्राम, प्रलय सिन्धु का हलाहल भी अब मौन होने को है जलधि लहरियों की क्रीडा भी अब सहज होने को है, भीषण वन ,घन सघन पीछे छूट रहे हौले हौले रवि बिंदु मस्तक पर धर धवल उषा नैनों को खोले, भोर सलज्ज सकुचाई सी शनैःशनैः फैला आलोक कालरात्रि निमग्न समर में दिव्य प्रकाश पहुंचा इहलोक , पुष्प पर गुंजन भ्रमर का मधुर कोकिला तान सुमन सौरभ नूतनता का प्रकृति दे रही अनुपम वरदान, भर भर कर ,लो आनंद उर में तज कर कलुष कालिमा को नतमस्तक स्वीकार करो युग परिवर्तन की लालिमा को।

- नम्रता सरन सोना

किताबों में छिपा कर रखा वो

किताबों में छिपा कर रखा वो सुर्ख लाल गुलाब किताबों में ही दर्ज प्रेम कहानियां सुनायेगा अव्यक्त उन किस्सों में ओझल होते लम्हों में आवारा हवा की भांति कुछ रूहानी अंश संजोएगा अविरल बहता सतत इस कायनात में निश्छल प्रेम सूखकर मेरी डायरी में नित नये सोपान बनायेगा इक तेरे इश्क में इक मेरे इश्क में दिल में बसे ख्वाहिश को बासन्ती रंग से सजायेगा।

- शोभा गोयल

हर तरफ बरपा है कहर यारो

हर तरफ बरपा है कहर यारो जिंदगी का थमा सफर यारो आदमी को बहुत लुभाता है रोशनी से भरा नगर यारो दूर से ही कमाल लगता है दाग से वह भरा कमर यारो नींद आंखों से हो गई गायब है बहुत भारी ये पहर यारो चाहिए साफसी हवा हमको ढूंढते हैं चलो शजर यारो रेहड़ी पर लगा के वो सब्जी ढूंढता फिर रहा बशर यारो है परेशां गरीब कुछ ऐसे जिंदगी बन गई शरर यारों।

- बबिता गर्ग

ये जिन्दगी गुलाब जरा फिर

ये ज़िन्दग़ी गुलाब ज़रा फिर से कीजिये चेहरे को माहताब ज़रा फिर से कीजिये इस वक्त को ख़राब नहीं कीजिये हुज़ूर मौसम को लाजवाब ज़रा फिर से कीजिये मंज़र हसीं है आप ज़रा आइये कभी ग़ज़लों की एक किताब ज़रा फिर से कीजिये बेकसिए इश्क़ पे न कभी रोइये जनाब महफिल को कामयाब ज़रा फिर से कीजिये नज़रें हैं आपके ही दरीचे पे अब मेरी बातें कभी जनाब ज़रा फिर से कीजिये हम रिंदे शाहिदबाज़ क़रीं आइये ज़रा आँखों में अब शराब ज़रा फिर से कीजिये सोई हुई है क़ौम ये जगती नहीं कभी पैदा तो इंक़लाब ज़रा फिर से कीजिये 'ऐनुल' बहुत हुआ है तग़ाफुल अभी तलक मुझपर नहीं इताब ज़रा फिर से कीजिये। - **'ऐनुल' बरौलवी**

मिली तुम से है मुझे ये

मिली तुम से है मुझे ये नायाब सी आशिक़ी, मत पूछो कितनों की है ये ख़्वाब सी आशिक़ी। ये नेह का महीना और मेरे हाथों में तेरा हाथ, तेरे टेरेस के गमलों में लगी गुलाब सी आशिक़ी।- **अनुराधा सिंह**

कुछ अनुपम किताबों से मित्रो कुछ

कुछ अनुपम किताबों से मित्रो,कुछ अनुभव से मिलता है। जीने की चाहत वालों का,जीवन वैभव सा चलता है। यह इक सच्चाई पुरानी है, जो उगता है वो ढलता है। सूरज तम से लम्बी लड़ाई लड़,अभिनव हो निकलता है। - **राज कुमार शर्मा**

चलो फिर प्यार करते हैं किसी

से वही इज़हार करते हैं किसी से सनक फिरसे मुहब्बत की चढ़ी है नज़र दो - चार करते हैं किसी से दुबारा कहने को वो आठ अक्षर हिमाक़त यार करते हैं किसी से। - **रोहित गोस्वामी रुद्रांश**

QUIZ TIME

1) जनवरी 2021 में सम्पन्न 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप (पुरुष वर्ग), 2021 का खिताब किसने जीता?
2) 17 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में नर्मदा जिले के केवड़िया, जहाँ स्टैच्यू ऑफयूनिटी स्थित है, तक के संचालन के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किस ट्रेन में विस्टाडोम कोच का प्रयोग किया गया है?
3) फरवरी 2021 में किस कंपनी ने ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली कंपनी बिग बास्केट में 68 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया?
4) कौन दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है?
5) जनवरी 2021 में किसे व्यापार के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (2) जनशताब्दी एक्सप्रेस (3) टाटा (4) हिमाचल प्रदेश (5) [illegible]

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1616- ब्रिटेन के राजदूत सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में अजमेर आये। 1692-कलकत्ता के संस्थापक जॉब चॉरनॉक का निधन हुआ। 1763-पेरिस की संधि से फ्रांसीसी-भारतीय युद्ध की समाप्ति हुई। 1818-अंग्रेजों तथा मराठों के बीच तीसरा त अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया। 1846- अंग्रेजों ने सोबरावं की लड़ाई में सिखों को पराजित किया। 1879-अमेरिका के कैलीफोर्निया थियेटर में रोशनी के लिए पहली बार बिजली का इस्तेमाल किया गया। 1904- जापान तथा रूस ने युद्ध की घोषणा की। 1912- ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी भारत से रवाना 1918- सोवियत नेता लियों ट्रोटस्की रूस के प्रथम विश्व युद्ध से हटने की घोषणा की। 1931- नयी दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1933- जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने मार्क्सवाद के समाप्त होने की घोषणा की। 1947- द्वितीय विश्व युद्ध में घटक सरकारों और संयुक्त सेनाओं के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुये। 1959- अमेरिका के सेंट लुईस में तूफान से 19 की मौत 265 घायल। 1961- कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात की पनबिजली परियोजना बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। 1972- सोवियत संघ ने पूर्वी कजाखस्तान में परमाणु परीक्षण किया। 1989- अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल से परमाणु परीक्षण किया। 1991- सोवियत संघ से आजादी के लिये यूरोपीय देश लिथुआनिया में मतदान। 2003- नामीबिया में पहला अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया।

एलआईसी ने लाया बंद पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने का सुनहरा अवसर

भोपाल/नवप्रदेश। एलआईसी, पॉलिसीधारकों के लिए उनकी पॉलिसियों को पुनर्चलित करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है उनकी कालातीत पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने के लिए इन चुनौतीपूर्ण समय में निरंतर जोखिम कवर प्रदान करने के लिए, एलआईसी चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार बंद पॉलिसियों के पुनर्चलन के लिए एक मूल्यवान अवसर लाया है। व्यक्तिगत कालातीत पॉलिसियों के लिए 7 फरवरी, 2022 से 25 मार्च, 2022 तक एक विशेष पुनर्चलन अभियान शुरू किया जा रहा है।

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के आधार पर, टर्म एश्योरेंस और उच्च जोखिम योजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर विलंब शुल्क में रियायतें दी जा रही हैं। चिकित्सा आवश्यकताओं पर कोई रियायत नहीं है। अर्ह स्वास्थ्य और सूक्ष्म बीमा योजनाएँ भी विलंब शुल्क में रियायत के लिए पात्र हैं।

इस विशेष पुनर्चलन अभियान के तहत, विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसियों को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन पहले अदत्त प्रीमियम की तिथि से 5 वर्षों के भीतर पुनर्चलित किया जा सकता है। ऐसी पॉलिसियाँ,जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान कालातीत अवस्था स्थिति में हैं और पॉलिसी अवधि पूर्ण नहीं की है , इस अभियान में पुनर्चलित होने के लिए पात्र हैं। यह अभियान उन पॉलिसीधारकों के हित में शुरू किया गया है, जिनकी पॉलिसी कालातीत (बंद) हो गई है, क्योंकि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। एलआईसी यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है कि उसके पॉलिसीधारक सुरक्षित रहें। वर्तमान कोविड 19 महामारी परिदृश्य ने मृत्यु सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है, यह अभियान एल आई सी के पॉलिसीधारकों के लिए अपनी पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने, जीवन बीमा को बहाल करने और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा अवसर है।

कांग्रेस सदस्यता अभियान की बैठक सम्पन्न

रिसाली। कांग्रेस सदस्यता अभियान नगर पालिका निगम रिसाली के हर वार्ड मे चलाया जा रहा है हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश अधयझ कांग्रेस कमेटी के अधयझ श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जिला भिलाई कांग्रेस कमेटी के अधयझ श्री मुकेश चंद्राकर जी के आदेशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अधयझ श्री मुकूंद भाउ जी के द्वारा एवं कांग्रेस सदस्यता अभियान ब्लॉक कांग्रेस क्र.6 की प्रभारी श्रीमती सरिता जितेंद्र साहू जी के मार्गदर्शन मे दिनांक 7 फरवरी सोमवार को वार्ड क्र.22 को 4 बजे वार्ड क्र.23,24मे 5बजे से वार्ड क्र.25 ,26 मे 6 बजे से बैठक रखी गई थी।

अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आज अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का निरीक्षण किया उन्होंने मार्च तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण की तीव्रता के साथ ही गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। उन्होंने पूरे कैंपस का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान जोन आयुक्त मनीष गायकवाड, सहायक अभियंता सुनील दुबे एवं आलोक पसीने तथा उप अभियंता श्वेता महेश्वर मौजूद रहे। निगमायुक्त ने जोन कार्यालय में पहुंचकर उपस्थिति पंजी का भी निरीक्षण किया। फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली।

कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से 5:30 बजे तक का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई में 3 शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भवन रिनोवेशन, निर्माण, खेल सुविधा एवं अन्य आवश्यक कार्य निगमायुक्त प्रकाश सर्वे के निरंतर मानिटरिंग से युद्ध स्तर पर हो रहा है। सेक्टर 6 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 80 लाख की लागत से छत का संधारण, तीन अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, पेंटिंग कार्य, फ्रंट व्यू, प्रवेश द्वार, प्रकाश व्यवस्था, वॉल आर्ट, लैंडफिलिंग एवं लेवलिंग, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। वही खमरिया में लगभग 60 लाख की लागत से बाउंड्री वाल, प्रवेश द्वार, पार्किंग स्थल एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./प्र.1अति. तह./2022 दुर्ग दिनांक..2022

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक बलजीत कौर आ. श्री गुरमुख सिंह साकिन त्रिवेणी नगर भिलाई द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 1195/4 रकबा 0.2000 हे. भू. रा. रूपये से संबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17/2/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जवोगा।

आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./प्र.1अति. तह./2022 दुर्ग दिनांक..2022

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विष्शी शर्मा आ. श्री अर्जून शर्मा साकिन से. 7 भिलाई द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 1187/11 रकबा 0.3233 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता राम विशाल आ. रामचन्द्र वैगे. से क्रय किया गया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 17/2/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जवोगा।

आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./प्र.1अति. तह./2022 दुर्ग दिनांक..2022

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मिलन साहू आ. दशीराम साकिन परपोड़ी द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 1187/1 रकबा 0.3233 हे. में से 600 वर्ग फीट हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता राम विशाल आ. रामचन्द्र वैगे. से क्रय किया गया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 17/4/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जवोगा।

आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./प्र.1अति. तह./2022 दुर्ग दिनांक..2022

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती पुष्पादेवी आ. श्री जीतू गोड़ साकिन बलिया जगदेव (उ.प्र.) द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 249/1 रकबा 0.5800 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता दिलीप कुमार आ. श्री सीताराम से क्रय किया गया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 17/2/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जवोगा।

आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./प्र.1अति. तह./2022 दुर्ग दिनांक..2022

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनय कुम्भकार आ. पंचूराम साकिन सिरसाखुर्द द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. दुर्ग 1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 166, 602 रकबा 0.12, 0.40 हे. भू. रा. 1.66 रुपये से संबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17/2/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जवोगा।

आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202202101200013/अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बिमला यादव पिता जगदीश यादव निवासी गायत्री नगर वार्ड 10 पोटियाकला दुर्ग (छ.ग.) मौजा भानपुरी प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 03/13 रकबा 0.0325 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार लक्ष्मी बाई पिता/पति गणेश राम से दिनांक .... को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 18/02/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका संतोषी बाई आ./पति गिरजा शंकर साकिन उतई के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न 42 रा.नि.मं. उतई तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 500, 620 रकबा 0.920, 0.040 हे. भूमि दानकर्ता गिरजा शंकर स्व. ईतवारी से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 03/02/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणिकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायाालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 24/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
इश्तहार

रा.प्र.क्र- 202202100700037//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बिसाहीन बाई पति राधेश्याम नेताम निवासी नयापारा तितुरडीह दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह प.ह.नं. 52 स्थित भूमि खसरा नं. 54/8.57/20 रकबा क्रमशः 0.006, 0.020 हे. भूमि जो कि आवेदिका व अन्य सहखातेदार व अन्य सहखातेदार के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदिका द्वारा आवेदित भूमि के सहखातेदार विक्रांत नेताम व नेहा नेताम के बालिग हो जाने पर उनके नाम से नाबालिग शब्द विलोपित किए जाने होने बाबत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट 20220210400125/अ-2 सन 2021-2022 | पक्षकार का नाम श्री राजकुमार | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक राजकुमार पिपता श्री लक्ष्मी साव पता 415 शास्त्री चौक केम्प-1 वार्ड नं. 18 सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 19 तह. व जिला दुर्ग	6851	0.020 हें 1540 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202202100400137

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रोहित कुमार वारे आ. रामस्वरूप वारे निवासी- मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 341/96 रकबा 0.006 हें/ 701 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202202100400136

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रामसिंह कुमरे आ. जगत लाल कुमरे निवासी- सेक्टर-6 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 291/4 रकबा 0.02 हें/ 1890 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 20220210400074

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक परसुती बाई पति संतोष सिंह राजपूत निवासी-सिकोला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.नं. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 32/189 रकबा 0.006 हे./860 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59(2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मामला क्रमांक/अ/6 सन् 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सरजील सिद्धिकी पिता/पति आफताब आलम साकिन केलाबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम समोदा प.ह.नं. 09 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नम्बर 787/17 रकबा 0.020/2200 वर्ग फूट हेक्टर, भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24/11/2021 के आधार पर विक्रेता श्रीमती ज्योति अग्रवाल पिता/पति सुदर्शन अग्रवाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17/02/22 अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 2/2/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा. प्र. क्र. अ/5 क्रमांक-21-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गौरव कुमार मिश्रा आ. नर्वदेशवर मिश्रा साकिन से. 10 भिलाई द्वारा ग्राम समोदा प.ह.नं. 09 रा.नि.मं. दुर्ग 1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 787/30 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता रोशनी आ उमेश अग्रवाल से क्रय किया गया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 17/2/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जवोगा।

आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मामला क्रमांक/अ/6 सन् 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गौरव कुमार मिश्रा पिता नर्वदेशवर मिश्रा साकिन 6-बी/ सड़क नं.-6/ से. 10 भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम समोदा प.ह.नं. 09 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नम्बर 787/38 रकबा 0.015 हेक्टर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27/10/2021 के आधार पर विक्रेता मनीष कुमार गुप्ता पिता/पति विनोद कुमार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17/02/22 अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 2/2/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मामला क्रमांक/अ/6 सन् 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गौरव कुमार मिश्रा पिता नर्वदेशवर मिश्रा साकिन 6-बी/ सड़क नं.6/ से. 10 भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम समोदा प.ह.नं. 09 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नम्बर 787/28 रकबा 0.015 हेक्टर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27/10/2021 के आधार पर विक्रेता संदीप कुमार गुप्ता पिता/पति विनोद कुमार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17/02/22 अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 2/2/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका/आवेदिका अगमदास आ. स्व. बृजलाल निवासी खम्हरिया तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम खम्हरिया तह. व जिला दुर्ग स्थित खाता क्रमांक ...... में दर्ज भूमि खसरा नं. 681/1, 632 रकबा 0.32, 0.029 हे. भूमि जो कि आवेदक/आवेदिका अगमदास अन्य के नाम पर शामिलात रूप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में हुए आपसी बंटवारा एवं कास्त कब्जा के आधार पर सामान हिस्सों में खाता विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 10-02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दानप्राप्तकर्ता उपकण दामोदर उरगांवकर पिता दामोदर उरगांवकर निवासी ग्राम बैजनाथ पारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 496/1/2 (शा. 499/1/2) रकबा 2163 वर्गफीट भूमि को दानकर्ता समीर उरगांवकर पिता डा.ए.डी.उरगांवकर निवासी ग्राम ऋषभ नगर दुर्ग रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 04/02/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/2/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेवा लाल पिता स्व. टेटलाल निवासी ग्राम ग्रीनवैली जुनवानी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 768/2 रकबा 2400 वर्गफीट भूमि को विक्रेता पंकज कुमार जैसल पिता रामखेलावन निवासी ग्राम उत्तर प्रदेश लखनऊ से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 07/02/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 25/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

(धारा 178 प्रारूप)

रा.प्र.क्र.//अ-27/वर्ष 2020-21

क्योंकि मौजा पुलगांव तह. व जिला दुर्ग के सह भूमि स्वामी जीवराखन आ. सीताराम अन्य निवासी जवाहर नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्यों कि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 07/03/22 स्थान तह. कार्यालय दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हों एवं अपने आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें। उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(खाते का विवरण): सर्वेक्षण खंडांक- 272/1, 272/2, 272/3/ क्षेत्रफल 0.324, 0.243, 0.235 हे. / भूराजस्व ....

आज दिनांक 03-02-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीष कुमार झा पिता आद्यानंद झा निवासी ग्राम प्लाट नं. 141/पी. मैजीकुंज रिसाली दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 141/22 रकबा 0.0200 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार ललिता झा की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/2/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 4/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- सुकमा (छ.ग.)
(जिला, जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला- सुकमा)

''ई-प्रोक्योरमेंट प्रथम निविदा सूचना''

नि. क्र. 88, 89, 90, 91,92, 93, 94/नि.प्र./जेजेएम/ डी. डब्ल्यू..एस.एम./ लो.स्वा.यां. ख./ सुकमा एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से जल जीवन मिसन के तहत एकल ग्राम योजनांतर्गत निर्धारित शेड्यूल अनुसार पाईप लाईन विस्तार, उच्च स्तरीय जलटंकी निर्माण, घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय आदि कार्यों हेतु प्रपत्र ''ए'' में ऑनलाईन Online निविदा आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	निविदा सूचना क्रमांक	सिस्टम निविदा क्रमांक	ग्राम/विकासखण्ड	अनुमानित लागत (लाख में)
1	88	91954	पोलमपल्ली (गंगलेर)/कोण्टा	17.56
2	89	91988	मंगलगुढ़ा (बण्डा)/ कोण्टा	12.75
3	90	91994	गंगलेर/ कोण्टा	12.79
4	91	91996	तोण्डामरका/कोण्टा	13.45
5	92	91997	करिगुण्डम/ कोण्टा	17.50
6	93	91998	भट्टीगुढ़ा/ कोण्टा	38.89
7	94	92000	अलमपल्ली/कोण्टा	26.86

नोट :- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविद विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल http://eproc.cgstate.gov.in पर दर्शित एवं डाउनलोड की जा सकती है। निविदा की अंतिम तिथि 21.02.2022 तक है।

जी-67603/4

कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, सुकमा

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा जिला- कबीरधाम छ.ग.

फोन एवं फैक्स 07741- 232226

क्र. /4363/1/ओ.बी.सी. सर्वे/नपाप/2021-22 कवर्धा, दिनांक 31/01/2022

क्वांटिफायबल डाटा एंट्री का प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद कवर्धा क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रं. 01 से 27 में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का क्वांटिफायबल डाटा एंट्री किए जाने हेतु छ.ग. राज्य क्वांटिफायबल डाटा आयोग के द्वारा आदेशित किया गया था जिसका डाटा एंट्री कार्य पूर्ण कर सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज दिनांक 31.01.2022 को किया गया है।

अतः दिनांक 01.02.2022 से 15.02.2022 तक कार्यालयीन समयावधि में उपस्थित होकर डाटा का मिलान कर उक्त संबंध में दावा आपत्ति किया जा सकता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कवर्धा

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव (छ.ग.)

दूरभाष क्र. कार्यालय (0774) 225059 फैक्स (07744) 225293 निवास (07744) 226389

E-mail Address- rajnandgaondfo@gmail.com

ज्ञापन क्रमांक / स्टोर/1211 — राजनांदगांव, दिनांक 07/02/2022

निविदा सूचना

राजनांदगांव वनमण्डल के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यस्थल पर बोरवेल खनन कार्य हेतु अनुमानित लागत 10.00 लाख के लिए निम्नानुसार निविद आमंत्रित की जाती है :-

निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि	निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि
02.03.2022 सायं 5.30 बजे तक	03.03.2022 दोपहर 1.00 बजे तक	03.03.2022 दोपहर 3.00 बजे से

निविदा प्रपत्र कार्य की सूची, शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से दिनांक 02.03.2022 समय सायं 5.30 बजे तक 500/- रु. जमा कर क्रय किया जा सकता है।

उपरोक्त निर्धारित प्रथम निविदा दिनांक को निविदा सफल न होने की स्थिति में द्वितीय निविदा दिनांक 07.03.2022 एवं द्वितीय निविदा सफल न होने की स्थिति में तृतीय निविदा दिनांक 10.03.2022 को आमंत्रित की जायेगी।

जी-67596/2

वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

pnb — Oriental — United — Together for the better

मण्डल शस्त्र भिलाई, द्वितीय तल, जीत टावर, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सहपठित नियम 3 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतन्निम्न नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय पंजाब नेशनल बैंक के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	गारंटर/ऋणी का नाम एवं शाखा का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति का स्वामी	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / कब्जा के प्रकार	मांग पत्र तिथि को बकाया राशि
1.	मेसर्स तिवारी अर्थ मूवर्स (ऋणी) प्रोपराईटर श्री जगत नारायण तिवारी एवं श्रीमती माया तिवारी पति- श्री जगत नारायण तिवारी (जमानतदार व बंधककर्ता) के माध्यम से। शाखा: भिलाई [illegible]	1. श्रीमती माया तिवारी पति- श्री जगत नारायण तिवारी के नाम पर खसरा नं. 480/69 (अब खसरा नं. 8445/9) का भाग, मौजा- कोहका, वैशाली नगर, पटवारी हल्का नं. 55/44, आरआईसी- दुर्ग-1, तहसील व जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल- 0.005 या 562.50 वर्गफीट	26.11.2021 / 03.02.2022 / सांकेतिक कब्जा	₹ 15,19,979.22 एवं अतिरिक्त ब्याज व अन्य खर्चे एनपीए दिनांक से

में स्थित वाणिज्यिक भवन व भूमि का साम्यिक बंधक। चौहद्दी : उत्तर की ओर- जगत नारायण तिवारी का मकान, दक्षिण की ओर- कल्याणी मुखर्जी का मकान, पूर्व की ओर- 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर- 60 फीट चौड़ी सड़क.

2. श्री जगत नारायण तिवारी पिता- श्री चन्द्रिका तिवारी के नाम पर खसरा नं. 480/69 (अब खसरा नं. 8445/10) का भाग, मौजा- कोहका, वैशाली नगर, पटवारी हल्का नं. 55/44, आरआईसी- दुर्ग-1, तहसील व जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल- 0.005 या 562.50 वर्गफीट में स्थित वाणिज्यिक भवन व भूमि का साम्यिक बंधक। चौहद्दी : उत्तर की ओर- खुला प्लॉट, दक्षिण की ओर- माया तिवारी का मकान, पूर्व की ओर- 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर- 60 फीट चौड़ी सड़क.

दिनांक : 09.02.2022 स्थान : भिलाई (छ.ग.) — प्राधिकृत अधिकारी / पंजाब नैशनल बैंक

भाजपाई गदगद, कांग्रेसी मायूस, राजस्व अमला संदेह के दायरे में

कृषि भूमि में अवैध प्लाटिंग का खेल

जीवन एस. साहू

गरियाबंद (नवप्रदेश)। गरियाबंद में इन दिनों भू-माफियाओं का बोल-बाला है, कृषि भूमि को बिना डायवर्सन कराये टुकड़ो-टुकड़ो में बेचने का अवैध करोबार चरमसीमा पर है, भूमि स्वामी रातो-रात जमीन की दस गुणा कीमत बना रहे है, जिसमें राजस्व विभाग अवैध प्लाटिंग विक्रय में संलग्न है, ऐसा ही वाक्या अभी-अभी ग्राम पंचायत परागांव, पटवारी हल्का नंबर-00008 राजस्व निरीक्षक मंडल गरियाबंद स्थित कृषि भूमि 778/1 की कृषि भूमि जिसका डायवर्सन नही हुआ है, का 07 टुकड़ों में विक्रय किया गया है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिले में नव पदस्थ कलेक्टर नम्रता गांधी अपने टी.एल. (समयसीमा) की बैठक में इस बात के स्पष्ट निर्देश दिये है कि कृषि भूमि की छोटी-छोटी रजिस्ट्रीया न किया जाए ।

गौरतलब यह है कि जिला कलेक्टर के निर्देशों का किस हद तक पालन राजस्व अमला द्वारा किया जा रहा है, यह नगर में चर्चा का विषय है, प्रदेश में कॉग्रेस की सरकार है, और कांग्रेसियों की भूमि पर यह प्रतिबंध लगा है और भाजपाईयों की कृषि भूमि का अवैध करोबार निर्देश के बाद भी बेखौफ चल रहा है, ग्राम पंचायत परागांव की उपरोक्त कृषि भूमि जो कि वर्तमान में जनपद पंचायत गरियाबंद में पदाधिकारी है, और उसका रूतबा और दबदबा इतना है कि प्राप्त निर्देशों के बाद भी हल्का पटवारी नकल दे रहे है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर रहे है और तहसीलदार नामांतरण कर रहे है, जबकि रजिस्ट्रार, हल्का पटवारी और तहसीलदार इसके लिए पूर्ण रूपेण दोषी है, उन पर कोई रोक या कार्यवाही नही होती, और कांग्रेस खेमा कांग्रेस में रहकर भी मायूस है, राजस्व विभाग के एक टेऊनी अधिकारी इन दिनों चर्चा पर है, जिन्होंने अनेक कब्जें तोड़वायें है दिन में भी और रात के अंधेरे में भी कब्जा हटवाने वाले उपरोक्त अधिकारी के जानकारी में उपरोक्त भाजपा नेता की खरीद बिक्री अवैध रूप से हुई है, उनकी चुप्पी संदेह जनक है क्या भाजपाईयों के लिए इसकी सुविधा दी गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्व अमला इस कार्य के लिए मोटी रकम से जेब भर रही है, जबकि सारा खेल गरियाबंद में ही खेला जा रहा है, जिले के अन्य क्षेत्र अछुते है, कांग्रेसियों की चुप्पी है या उनके अंदर के खौफ देखा जा रहा है, व्यवसायी भी वक्त को देखते हुये तुफान के गुजर जाने का इंतजार कर रहे है ।

भाजपाईयों को सर चढ़ा रहे है उच्चाधिकारी

राजनैतिक गलियारें में यह चर्चा है कि गरियाबंद में पदस्थ उच्चाधिकारी भाजपाईयों को सर चढ़ा रहे है, और कांग्रेसियों को दबा रहे है, कांग्रेसियों की अब यह स्थिति हो गई है कि अधिकारियों के पर्ची भेजने के बाद भी मुलाकात के दिन भी बिना मुलाकात के मायुस होकर वापस जा रहे है कहीं यह कांग्रेस के उच्चस्तरीय गुटबाजी का परिणाम तो नहीं है? इन दिनों यह देखा जा रहा है कि भाजपाई जिला कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय के आसपास और कांग्रेसी दूर नजर आ रहे है, कहीं ऐसा न हो क्षेत्रीय विधायक को समझने में देर हो जाये और इसका दुष्परिणाम खमियाजा के रूप में कांग्रेस को भुगतना पड़े, दुनिया के सारे कायदे नियम-कानून गरियाबंद और इसके ईद-गिर्द के लिए बनाये गये नजर आते है।

जनता से अधिक बिजली बिल की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए : आशीष छाबड़ा

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने विद्युत विभाग की बैठक ली तथा अधिकारियों को बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्राप्त हो रहे अधिक बिजली बिल की शिकायत को दूर करने सहित बिजली मीटर रीडिंग और बिल प्रदाय में सुधार लाने को निर्देशित किया। बैठक में विधायक आशीष छाबड़ा ने उपस्थित मुख्य अभियंता दुर्ग एम जामुलकर, अधीक्षण अभियंता एके गौराहा तथा बेमेतरा कार्यपालन अभियंता यूके ठाकुर को विधानसभा क्षेत्र में रिक्त तकनीकी पदों में शीघ्र भरने हेतु आदेशित किया, साथ ही जूनियर इंजीनियर की कमी झेल रहे क्षेत्र में जल्द ही जूनियर इंजीनियर के पदों पर पदस्थापना करने को कहा। इस दौरान अधिकारियों ने विधायक आशीष छाबड़ा को जानकारी दी कि 11/33 के व्ही विद्युत वितरण केंद्र बेमेतरा विधानसभा के ग्राम लोलेसरा एवं लावातरा में स्थापित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हैं, जल्द ही कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा।

घुमका ब्लॉक कांग्रेस का जोन अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष का सम्मान समारोह संपन्न

राजनांदगांव/नवप्रदेश। घुमका ब्लॉक कांग्रेस कमिटी द्वारा जोन अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष का सम्मान समारोह घुमका में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी, प्रभारी कृणा दुबे, जिला महामंत्री पंकज बांधव, मुढ़ीपार ब्लॉक अध्यक्ष कोमल साहू के विशेष उपस्थित में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पूजा-अर्चना कर किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष रतन यादव द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। विधायक बघेल ने सत्ता व संगठन को साथ लेकर मिलकर काम करने की बात कही व उपस्थित अतिथियों ने सभी जोन अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह, पैंठ-शर्ट कपड़ा, गमछा, कॉपी भेंट किया गया। कार्यक्रम को मुढ़ीपार ब्लॉक अध्यक्ष कोमल साहू, पंकज बांधव, जिलाध्यक्ष पदम कोठारी, विधानसभा प्रभारी कृष्णा दुबे ने संबोधित किया। आभार ब्लॉक अध्यक्ष रतन यादव, कार्यक्रम का संचालन जनपद सभापति ओमप्रकाश साहू द्वारा किया गया।

शिक्षामंत्री से मिले शालेय शिक्षक संघ

■ पदोन्नति में समस्या व डबल स्नातक विषय पर चर्चा

कवर्धा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्राथमिक शाला प्रधानपाठक, शिक्षक, माध्यमिक शाला प्रधानपाठक व्याख्याता पदों पर पदोन्नति हेतु तीन वर्ष का एक बार की छूट प्रदान की गई है, इसके बाद सभी संभागों एवं जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ है। पदोन्नति प्रकिया में प्रदेश भर से एक रूपता नही होने तथा अलग अलग नियमों से पदोन्नति प्रक्रिया सम्पन्न करने के कारण लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है इस तारतम्य में शालेय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भेंट करके समस्याओं के त्वरित समाधान करने की मांग करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि राज्य में कला संकाय के शिक्षक बहुतायत में उपलब्ध हैं. जबकि अंग्रेजी साहित्य गणित व विज्ञान विषयों के पर्याप्त शिक्षक राज्य में उपलब्ध नहीं है, और अधिकत्तर उच्च प्राथमिक शालायें इन विषयों के शिक्षकों की कमी को झेल रहे हैं, दूसरी ओर कला संकाय के कुछ स्नातक-शिक्षक दोहरे स्नातक के रूप में अपनी योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान या गणित जैसे विषयों में स्नातक कर चुके हैं। लेकिन इन को मान्यता देने के संबंध में अलग-अलग जिलों एवं संभाग में अलग अलग नीति अपनाई जा रही है. इस संदर्भ में राज्य शासन का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मोहन राजपूत,संजय जायसवाल, अमित मिश्रा, राकेश जोशी ने बताया कि दोहरे स्नातक उपाधि प्राप्त शिक्षकों को पदोन्नति के लिए कम से कम एक उपाधि के चयन का विकल्प दिया जाए. ताकि अंग्रेजी साहित्य, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिल सके और विद्यालयों को इन विषयों के पर्याप्त शिक्षक मिल सके. ऐसी नीति अपनाने से एक तरफ दोहरे स्नातक वाले शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, पर कला संकाय वाले शिक्षकों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी. यदि इन शिक्षकों के द्वितीय स्नातक उपाधि को मान्य नहीं किया गया तो वे कला संकाय में ही बने रहेंगे और कला संकाय के शिक्षकों के रूप में पदोन्नति की पात्रता होगी। जिसमें पूर्व से ही कला विषय के बहुतायत शिक्षक उपलब्ध हैं तथा वे बरसों से पदोन्नति की बाट जो रहे हैं, वे पदोन्नति से हमेशा वंचित हो सकते है।

मुंगझर में 5 माह पहले बनाई गई सड़क की हालत खराब जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल

देवभोग/नवप्रदेश। सरपंच सचिव जिम्मेदार अधिकारियों से सांठगांठ कर लाखों की सड़क को जैसे-तैसे निर्माण करते हुए लाखों रुपए बना कर। भ्रष्टाचारी काम को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे ही ग्राम पंचायत मुंगझर में देखने को मिला है। जहां महज 5 माह पहले 500000 की लागत से बनाई गई सड़क दरदरा होकर खराब होने की कगार में पहुंच गया है। जानकारी अनुसार मुंगझर के आश्रित पारा खलिया बंद पारा से इंद्रजीत घर तक विधायक मद के तहत 5 लाख़ से अधिक राशि की स्वीकृति किया गया। ताकि कीचड़ भरे मार्ग से सैकड़ों ग्रामीणों को निजात मिल पाए। लेकिन निर्माण एजेंसी की लालसा ने भ्रष्टाचारी सड़क बना कर फिर खस्ताहाल सड़क पर आवागमन करने के लिए मजबूर कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार गुणवत्ताहीन मटेरियल का इस्तेमाल करने के अलावा मटेरियल में जमकर कांटा मारी किया गया ।साथ ही क्यूरिंग मे भी लापरवाही बरती गई। सड़क निर्माण के दौरान बमुश्किल 1 से 2 दिन पानी की तराई हुआ सड़क पूर्ण होने के बाद तो बिल्कुल भी पानी नहीं डाला गया। ऐसे में सड़क की मजबूती का आकलन किया जा सकता है। बावजूद इसके मूल्यांकन सत्यापन कर पूरी पूरी राशि निकाल लिया गया। जबकी महक 5 महीने मैं ही सड़क दरदर्रा होकर उखड़ने लगा है। यही वजह है कि बरसात तक यह सड़क टिकने को लेकर शंका जाहिर किया जा रहा है। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि द्वारा गुणवत्तापूर्वक सड़क निर्माण कराने का दावा कर रहे हैं। मगर दरदरा सड़क देख पंचायत प्रतिनिधियों की दावा खोखली साबित हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो पंचायत अंतर्गत अधिकांश कार्यों में प्रावधान के विपरीत कार्य कराया जाता है। एक घमेला सीमेंट चार घमेला गिट्टी और 6 घमेला रेती की जगह मनमाने ढंग से मटेरियल डाला होती हैं।

कोरोना व टीबी रोग के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए आश्वासन अभियान शुरू

■ महापौर और सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत

■ 100 दिन 100 जिलों में किए जाएंगे विविध प्रेरक आयोजन

राजनांदगांव/नवप्रदेश। कोरोना व टीबी रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों के क्रम में जिले में आश्वासन अभियान की शुरुआत की गई है। आश्वासन अभियान के अंतर्गत 100 दिन 100 जिलों में कोविड एवं टीबी के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख और सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर की।

आश्वासन अभियान के तहत पिरामल स्वास्थ्य संस्था द्वारा राजनांदगांव जिले के 5 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड क्षेत्र डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुरिया, मोहला और मानपुर में प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से कोविड के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों में विशेषकर कोविड वैक्सीन के प्रति गलत धारणाओं, भ्रांतियों एवं झिझक को दूर किया जा सके तथा आमजन को कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह गांव स्तर पर सक्रिय खोज अभियान के माध्यम से लक्षणों के आधार पर टीबी के संभावित मरीजों की बलगम की जांच करवाई जाएगी। रोग की पुष्टि होने की स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित टीबी रोग का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा, ताकि टीबी जैसे संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके।

किराना दुकान में सट्टा पट्टी लिखते एक आरोपी गिरफ्तार

भाटापारा/नवप्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रो में पसार रहे सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के मिले वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस ने एक किराना दुकान में दबिश देकर सट्टा पट्टी लिखते एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सट्टा पट्टी नकदी रकम जब्त किया है ,आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के अलावा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। उपरोक्त संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेंदरी में परमेश्वर टंडन के किराना दुकान में रेड कार्रवाई कर, आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी लिखा कागज डॉट पेन एवं नगदी 1620 रुपया को जप्त कर धारा 4 क जुआ अधिनियम और पृथक से प्रतिबंधात्मक धारा 151,107,116-3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।

प्रदेश में खाद संकट पर संसदीय सचिव ने केंद्र सरकार को घेरा

■ राज्य के कोटे में 45 फीसदी की कटौती पर उठाया सवाल

महासमुंद/नवप्रदेश। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने प्रदेश में खाद संकट को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐन रबी फसल की बुवाई के समय केंद्र सरकार ने राज्य के कोटे में 45 फीसदी की कटौती कर दी है। जिसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। भूपेश सरकार किसानों की चिंता करती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कोटे में कटौती करने के बाद भी प्रदेश सरकार रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर खाद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 7 लाख 50 हजार मीट्रिक टन रासायनिक खाद मांगा था। लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 4 लाख 11 हजार मीट्रिक टन उर्वरक दिये जाने की स्वीकृति दी। यह छत्तीसगढ़ की जरूरत का केवल 55 फीसदी है। शेष 45 फीसदी की कटौती कर ली गई। इसमें भी केवल 3 लाख 20 हजार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक ही छत्तीसगढ़ में आया है। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के मुताबिक राज्य को अब तक 1 लाख 17 हजार 522 मीट्रिक टन यूरिया मिला है। यह राज्य की जरूरत का केवल 34 फीसदी है।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका शाहीना कौशर पति अब्दुल वहीद निवासी ग्राम सुभाष नगर कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 687/32 रकबा 1500 वर्गफीट भूमि को विक्रेता श्रीमती जया भारती चंदाकर पति विजय कुमार निवासी ग्राम जामगांव आर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 12/11/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/2/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका श्रीमती हेमलता राव पति वेंकट राव निवासी ग्राम घाड़ीवाल तहसील पश्चिम मिदानपुर (पश्चिम बंगाल) के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 236 का टुकड़ा रकबा 1165.29 वर्गफीट भूमि को विक्रेता पार्टनर अमन शर्मा पिता शैलेष कुमार शर्मा निवासी ग्राम रिसाली आर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम श्रीमती पुष्पलता — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202202100400121/अ-2 सन 2021-2022

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका पुष्पलता देवांगन पति श्री गिरीश कुमार देवांगन पता मकान नं 572 संतोषी पारा केम्प 02 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरूद प.ह.न. 19-अ/50 तह. व जिला दुर्ग	1557/55	0.011 हें 1200 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

प्रथम पृष्ठ का शेष...

गंगा की सफाई का...

उन्होंने कहा कि वह सरकार से जानना चाहते हैं कि इस परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी थी और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने पाकिस्तान की समुद्री एजेन्सियों द्वारा गुजरात के मछुआरों को गिरफ्तार किये जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक सप्ताह में पाकिस्तानी एजेन्सियों ने गुजरात की तीन नौकाओं तथा 27 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इन मछुआरों को जेलों में बंद कर दिया जाता है और उनकी नौकाओं के उपकरणों को चुरा लिया जाता है। इससे लाखों रूपये का कर्ज लेकर नौका बनाने वाले मछुआरे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान की जेलों में 643 मछुआरे बंद हैं और सरकार को किसी भी तरह से इनकी रिहायी का प्रबंध करना चाहिए।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जोश के मणि ने केरल में जंगली पशुओं के आतंक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक हाथी ने हाल ही में अपने माता पिता के साथ जा रही लड़की को सड़क पर सबके सामने मार दिया। राजद के ए डी सिंह ने अफगानिस्तान के छात्रों को वीजा दिये जाने का विषय उठाते हुए कहा कि अफगान के लोगों की भारत के प्रति सद्भावना है और इसलिए भारत को इनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना में अफगानियों की एक रेजिमेंट बनाकर उन्हें कश्मीर में तैनात किया जा सकता है। मार्क्सवादी वी शिवदासन ने कोविड के समय में छात्रों के लिए फैलोशिप कम होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पहले से संकट झेल रहे छात्रों की दुश्वारियां बढ गयी हैं। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर का तैलचित्र ससंद में लगाये जाने की मांग की। भाजापा के ही ब्रजलाल द्विवेदी ने पुलिस पदकों के साथ दी जाने वाली राशि को बढाये जाने का मुद्दा उठाया।

हिजाब विवादः हाईकोर्ट ...

कर सकते। हिजाब पहनने वाली छात्राओं का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि उन्हें अपने मजहब का पालन करने दिया जाए। हिजाब पर विवाद खड़ा करके उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को नियमों को लेकर स्वायत्ता है। उन्होंने कहा कि हर संस्थान को स्वायत्ता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर फैसला नहीं ले सकती है।

छात्राओं के वकील ने ...

पर रोक के लिए धारा 144 लागू की है। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि यह फैसला अगले सप्ताह तक लागू रहेगा।

मौसम अलर्ट : छत्तीसगढ़ के ...

दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से अरब सागर से पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवा के साथ प्रचुर मात्रा में नमी आने की संभावना है। प्रदेश के मौसम में 9 फरवरी से परिवर्तन की संभावना है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गरम हवा आने के कारण प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।

नक्सलियों की ...

जिले में आईईडी की चपेट में आने से 4 जवान घायल हुए हैं, जिनका रायपुर में उपचार चल रहा है। कोंडागांव एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में लगातार एरिया डोमिनेशन एवं डि-माइनिंग की कार्रवाई की जा रही है। पुंगारपाल थाना से एक किलोमीटर दूर टेकरी के नजदीक, कच्ची सड़क मार्ग पर माओवादी संगठन द्वारा फोर्स को नुकसान पहुंचाने की मंशा से सड़क पर गड्ढा खोदकर आईईडी प्लांट किया गया था। डी-माईनिंग कार्रवाई के दौरान सड़क में 5 किलो का आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर (बम निरोधक दस्ता) टीम द्वारा डिप्यूज किया गया। 5 किलो का यह विस्फोटक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202201100400359

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका चन्द्रिका बाई पति स्व. कमलदास निवासी- चन्द्रनगर उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 792/6 रकबा 0.02 हें/ 2640 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31/01/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नजमुन्नीसा कोप्पीलान (NAJMUNNEESA KOPPILAN) उम्र-47 वर्ष पति मुस्तफा अप्पाटु वड़केकरा (MUSTHAFA APPATU VADAKEKAEA) निवासी क्वा. नं. 4ए स्ट्रीट नं. 26 से-7 सिविक सेंटर भिलाई दुर्ग (छ.ग.) 490006 है। मैं अपना नाम नेजमुन्नीसा अप्पाटु वाडकेकरा (NEJMUNNEESA A P P A T U VADAKEKARA) से बदलकर नजमुन्नीसा कोप्पीलन (NAJMUNNEESA KOPPILAN) रखना चाहती हं एवं भविष्य में मुझे मेरे नया नाम से जाना एवं पहचाना जाएं। सरकारी एवं अन्य दस्तावेजों में भी मुझे इसी नाम से पहचाना जाएं।

शपथकर्ता
नजमुम्मीसा कोप्पीलन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202202100400055

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका अपर्णा कश्यप पति नवीन कुमार कश्यप निवासी सेक्टर-6 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पुरई प.ह.न. 40 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1035/5 रकबा 0.037 हें/ 4000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202202100400129

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका नीलिमा जैन पति भागचंद जैन निवासी सेक्टर-6 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 275/11 रकबा 0.088 हें/ 820 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202202100400130

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका नीलिमा जैन पति भागचंद जैन निवासी सेक्टर-6 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 275/10 रकबा 0.015 हें/ 1600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07/02/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

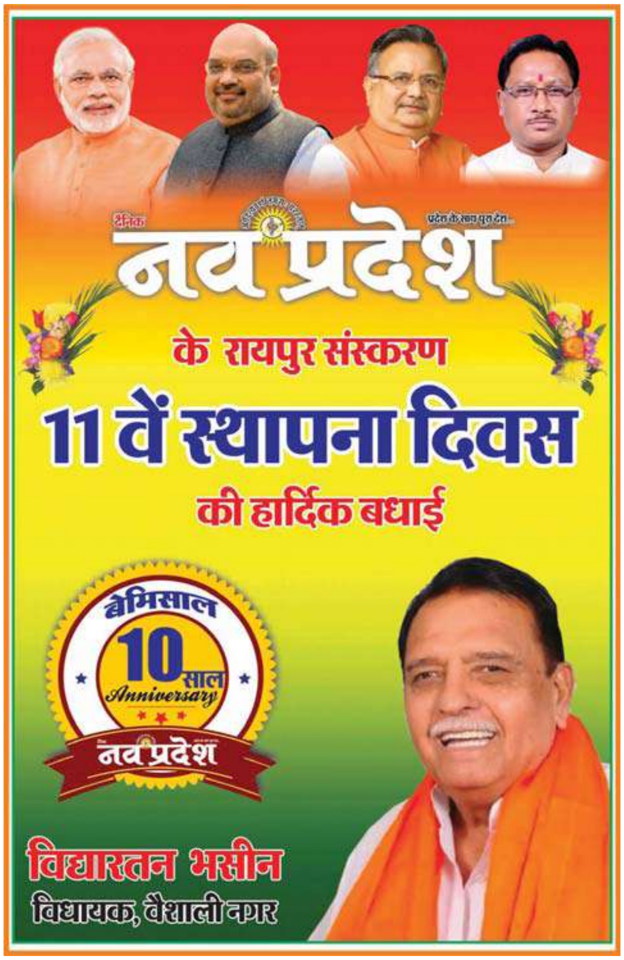
दैनिक नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
के रायपुर संस्करण
11 वें स्थापना दिवस
की हार्दिक बधाई
बेमिसाल 10 साल Anniversary
नव प्रदेश
विद्यारतन भसीन
विधायक, वैशाली नगर

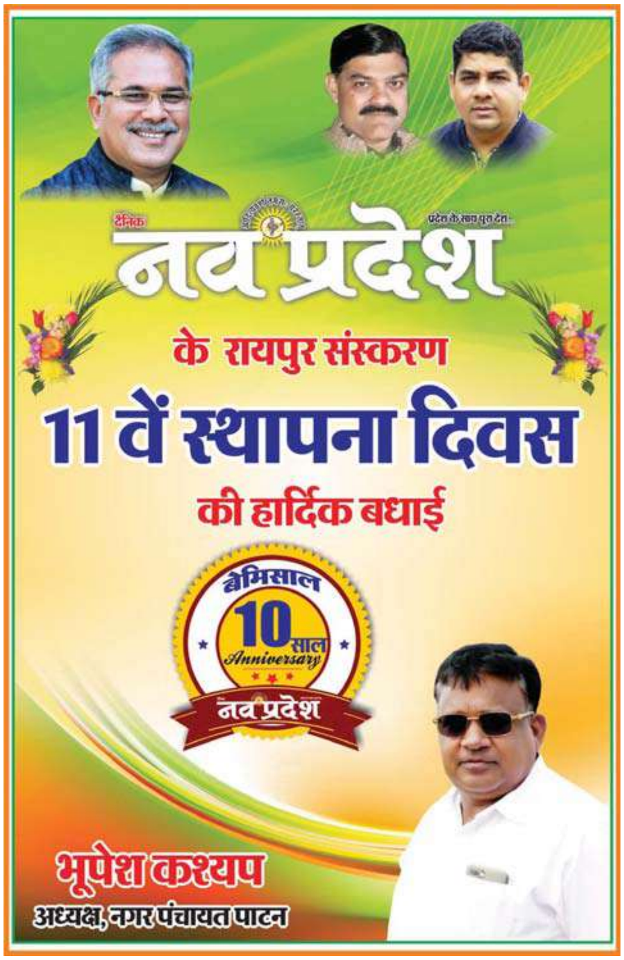
दैनिक नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
के रायपुर संस्करण
11 वें स्थापना दिवस
की हार्दिक बधाई
बेमिसाल 10 साल Anniversary
नव प्रदेश
भूपेश कश्यप
अध्यक्ष, नगर पंचायत पाटन

दैनिक नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
के रायपुर संस्करण
11 वें स्थापना दिवस
की हार्दिक बधाई
बेमिसाल 10 साल Anniversary
नव प्रदेश
अरविंदर सिंह खुराना
अध्यक्ष
भिलाई एंसीलरी एसोसिएशन
प्रधान सेवादार
गुरूद्वारा श्री गुरू सिंघ सभा, दुर्ग

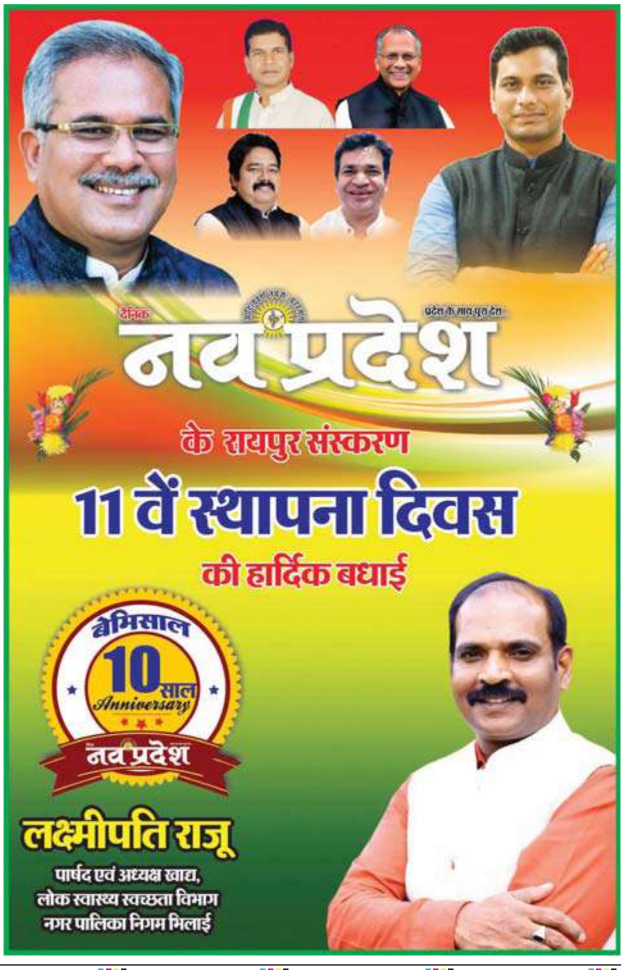
दैनिक नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
के रायपुर संस्करण
11 वें स्थापना दिवस
की हार्दिक बधाई
बेमिसाल 10 साल Anniversary
नव प्रदेश
लक्ष्मीपति राजू
पार्षद एवं अध्यक्ष खाद्य,
लोक स्वास्थ्य स्वच्छता विभाग
नगर पालिका निगम भिलाई

न्याय का बढ़ता दायरा
ज्यादा आय ज्यादा खुशहाली
अंतिम व्यक्ति तक न्याय
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन
कृषि मजदूर न्याय योजना
प्रत्येक हितग्राही को हर साल मिलेगी
₹6,000 की आर्थिक सहायता
गौथन से जन- धन का निर्माण
गोधन न्याय योजना
अब तक शासन द्वारा ₹122.17 करोड़ की गोबर खरीदी
2 लाख से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित
गोधन न्याय योजना
न्याय से समृद्ध होते किसान
राजीव गांधी
किसान न्याय योजना
21 लाख से ज्यादा किसान को अब तक ₹10,176 करोड़ का भुगतान
सशक्त बेटियां सम्मानित श्रमिक
नोनी सशक्तिकरण
सहायता योजना
पंजीकृत मजदूरों की पहली
दो बेटियों को 20-20 हजार रुपये
की एकमुश्त सहायता
छत्तीसगढ़ शासन
सेवा-जतन-सरोकार
छत्तीसगढ़ सरकार
श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संवाद - 28976